परिशिष्ट-1.1

(संदर्भ: पैराग्राफ: 1)

जम्मू और कश्मीर की प्रोफाइल

क. सामान्य डेटा

क्र. सं.	**विवरण**		**आंकड़े**
1	क्षेत्र		2.22 लाख* वर्ग किमी.
2	2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या		1.25 करोड़
3	जनसंख्या का घनत्व (2011 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय घनत्व =382 व्यक्ति प्रति सक्वेयर किमी.)		124 प्रति वर्ग किमी.
4	2011-12 के लिए गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) की जनसंख्या (अखिल भारतीय औसत = 21.9 *प्रतिशत*)		10.4
5	साक्षरता (2011 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय औसत = 73.0 *प्रतिशत*)		67.2
6	शिशु मृत्यु दर (प्रति 1000 जीवित जन्म)। (अखिल भारतीय औसत = 34 प्रति 1000 जीवित जन्म (2016)		24
7	जन्म के समय जीवन प्रत्याशा (अखिल भारतीय औसत = 68.3 वर्ष		73.2
8	एचडीआई मूल्य दर	भारत (आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18)	0.467
		जम्मू और कश्मीर	0.529
	एचडीआई रैंक	जम्मू और कश्मीर	10
9	विशेष श्रेणी राज्यों जम्मू और कश्मीर के लिए प्रति व्यक्ति जीएसडीपी सीएजीआर (2008-09 से 2017-18)		13.30 13.00
10	जीएसडीपी सीएजीआर (2008-09 से 2017-18)	जम्मू और कश्मीर	14.30
		विशेष श्रेणी राज्य	14.60
11	जनसंख्या वृद्धि (2008-09 से 2017-18)	जम्मू और कश्मीर	11.20
		विशेष श्रेणी राज्य	11.10

ख. वित्तीय डेटा

क्र. सं.	**विवरण (सीएजीआर)**	**आंकड़े (*प्रतिशत* में)**			
		2008-09 से 2016-17		**2016-17 से 2017-18**	
		विशेष श्रेणी राज्य	**जम्मू और कश्मीर**	**विशेष श्रेणी राज्य**	**जम्मू और कश्मीर**
क.	राजस्व प्राप्तियां	13.70	14.40	10.40	15.60
ख.	स्वयं कर राजस्व	16.00	18.30	#20.00	23.90
ग.	कर रहित राजस्व	8.30	21.90	8.00	7.10
घ.	कुल खर्च	13.70	13.90	10.60	6.50

ड.	पूंजीगत व्यय	7.80	6.60	19.60	24.90
च.	शिक्षा पर राजस्व व्यय	16.60	19.90	15.80	21.50
छ.	स्वास्थ्य पर राजस्व व्यय	18.00	17.80	20.50	4.70
ज.	वेतन और मजदूरी	14.70	15.70	20.60	6.60
झ.	पेंशन	18.80	16.20	28.10	28.20

मानव विकास सूचकांक (एचडीआई), संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर)

 # अरुणाचल प्रदेश और मेघालय जैसे बाहरी राज्यों को छोड़कर:

*स्रोत: *जनगणना 2011, आर्थिक सर्वेक्षण (भारत सरकार) 2017-18*

परिशिष्ट-1.2

भाग क: संरचना और सरकारी लेखों के प्रपत्र

सरकारी लेखों की संरचना: राज्य सरकार के लेखों को तीन भागों में रखा जाता है **(i)** संचित निधि, **(ii)** आकस्मिक निधि और **(iii)** सार्वजनिक खाता।

भाग I: संचित निधि: राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, राजकोष बिलों, आंतरिक और बाह्य ऋणों के निर्गम द्वारा उठाए गए सभी ऋण और ऋणों के पुनर्भुगतान में सरकार द्वारा प्राप्त सभी धन एक समेकित निधि का निर्माण करेंगे जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 266(1) के अंतर्गत राज्य की संचित निधि कहा जाता है।

भाग II: आकस्मिक निधि: संविधान के अनुच्छेद 267(2) के अंतर्गत राज्य की आकस्मिक निधि तत्काल अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए अग्रिम देने में सक्षम बनाने हेतु विधानमंडल द्वारा लंबित प्राधिकार द्वारा राज्यपाल के नियंत्रण पर अग्रदाय की प्रकृति की होती है। विधानमंडल का अनुमोदन ऐसे व्यय के लिए और संचित निधि से समतुल्य राशि वापस लेने के लिए बाद में प्राप्त किया जाता है, जिसके बाद आकस्मिक निधि से अग्रिमों की प्रतिपूर्ति की जाती है।

भाग III: लोक लेखा: संविधान के अनुच्छेद 266(2) के अंतर्गत व्यवस्थिति लोक लेखा; लघु बचत, भविष्य निधि, आरक्षित निधि, जमा, उच्चंत, प्रेषण आदि जैसे कतिपय लेन-देन के संबंध में प्राप्तियां और संवितरण, जो संचित निधि का हिस्सा नहीं हैं, को लोक लेखों में रखा जाता है और राज्य विधान मंडल के विषयाधीन नहीं हैं।

भाग ख: वित्त लेखों का प्रारूप

विवरण	प्रारूप
विवरण सं. 1	वित्तीय स्थिति का विवरण
विवरण सं. 2	प्राप्तियों और संवितरण का विवरण
विवरण सं. 3	समेकित निधि में प्राप्तियों का विवरण
विवरण सं. 4	समेकित निधि में व्यय का विवरण
विवरण सं. 5	प्रगतिशील पूंजीगत व्यय का विवरण
विवरण सं. 6	उधार और अन्य देयताओं का विवरण
विवरण सं. 7	सरकार द्वारा दिए गए ऋण और अग्रिमों का विवरण
विवरण सं. 8	सरकार के निवेश का विवरण
विवरण सं. 9	सरकार द्वारा दी गई गारंटी का विवरण
विवरण सं. 10	सरकार द्वारा दिये गये अनुदान का विवरण

विवरण सं. 11	दत्तमत और शुल्क व्यय का विवरण
विवरण सं. 12	राजस्व के अलावा व्यय के लिए धन के स्रोतों और उपयोग का विवरण
विवरण सं. 13	समेकित निधि, आकस्मिक निधि और सार्वजनिक लेखों के तहत शेष राशि का सारांश
विवरण सं. 14	लघु शीर्ष द्वारा राजस्व और पूंजी प्राप्तियों का विस्तृत विवरण
विवरण सं. 15	लघु शीर्ष द्वारा राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण
विवरण सं. 16	लघु शीर्ष और उप शीर्ष द्वारा पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण
विवरण सं. 17	उधार और अन्य देयताओं का विस्तृत विवरण
विवरण सं. 18	सरकार द्वारा दिए गए ऋण और अग्रिम के विस्तृत विवरण
विवरण सं. 19	सरकार के निवेश का विस्तृत विवरण
विवरण सं. 20	सरकार द्वारा दी गई गारंटी का विस्तृत विवरण
विवरण सं. 21	आकस्मिक निधि और अन्य सार्वजनिक खाता लेनदेन पर विस्तृत विवरण
विवरण सं. 22	ईयरमार्कड् शेष के निवेश पर विस्तृत विवरण

परिशिष्ट-1.3
वित्तीय स्थिति के आकलन के लिए अपनाई गई पद्धति

चयनित राजकोषीय चर के लिए टीएफसी द्वारा निर्धारित मानदंड/उच्चतम शीर्ष, राजकोषीय समुच्चयों के एक सेट के लिए अपने अनुमानों और राज्य सरकारों द्वारा किए गए वचनबद्धताओं/प्रक्षेपों के साथ अपने राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियमों में और अधिनियम के तहत विधायिका में बनाये गये अन्य विवरणों में (परिशिष्ट 1.2 के भाग ख) का उपयोग प्रमुख राजकोषीय समुच्चयों के रुझानों और पैटर्न का गुणात्मक मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। यह मानते हुए कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) राज्य की अर्थव्यवस्था के निष्पादन का एक अच्छा संकेत है, कर और गैर-कर राजस्व, राजस्व और पूंजीगत व्यय, आंतरिक ऋण और राजस्व और राजकोषीय घाटे जैसे प्रमुख राजकोषीय समुच्चय वर्तमान बाजार कीमतों पर जीएसडीपी के *प्रतिशत* के रूप में प्रस्तुत किया. जीएसडीपी द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए आधार के संदर्भ में संगत राजकोषीय चरों के लिए उछाल गुणांकों का भी आकलन करने के लिए कार्य किया गया है कि क्या संसाधनों की जुटाव, व्यय का पैटर्न आदि आधार में परिवर्तन के साथ तालमेल रख रहे हैं। विगत पांच वर्षों हेतु जीएसडीपी में प्रवृत्तियों को नीचे दर्शाया गया है:

विवरण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
वर्तमान कीमतों पर भारत जीडीपी (₹ करोड़ में)	1,12,33,522	1,24,67,959	1,37,64,037	1,52,53,714	1,67,73,145
सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (*प्रतिशत* में)	12.97	10.99	10.40	10.82	9.96
वर्तमान कीमतों पर राज्य जीएसडीपी (₹ करोड़ में)	95,619	98,370	1,17,187	1,26,847	1,40,887*
जीएसडीपी की वृद्धि दर (*प्रतिशत* में)	9.73	2.88	19.13	8.24	11.07

*स्रोत: *अर्थशास्त्र और सांख्यिकी विभाग निदेशालय जम्मू और कश्मीर, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की वेब साइट, भारत सरकार*

शर्तें	गणना का आधार
एक मानदंड में उछाल	मानदंड/जीएसडीपी ग्रोथ की वृद्धि की दर
अन्य मानदंड (वाई) के संबंध में एक मानदंड का उछाल (एक्स)	मानदंड (एक्स) की वृद्धि दर मानदंड (वाई) की वृद्धि दर
विकास दर (आरओजी)	[(वर्तमान वर्ष की राशि/पिछले वर्ष की राशि)-1] * 100
विकास व्यय	सामाजिक सेवा + आर्थिक सेवाएँ
राज्य द्वारा भुगतान किया गया औसत ब्याज	ब्याज भुगतान/[(पिछले वर्ष की राजकोषीय देनदारियों की राशि + वर्तमान वर्ष की राजकोषीय देयताएं)/2] * 100
ऋण बकाया के लिए ब्याज *प्रतिशत* के रूप में प्राप्त हुआ	प्राप्त ब्याज [(शेष राशि + ऋणों और अग्रिमों का अंत शेष)/2] * 100
राजस्व घाटा	राजस्व प्राप्ति - राजस्व व्यय

राजकोषीय घाटा	राजस्व व्यय + पूंजीगत व्यय + निवल ऋण और अग्रिम - राजस्व प्राप्तियां - विविध पूंजी प्राप्तियां
प्राथमिक कमी	राजकोषीय घाटा - ब्याज भुगतान
पूर्व-विचलन गैर-नियोजित राजस्व घाटा	गैर-नियोजित राजस्व व्यय - (राज्य के अपने कर राजस्व + राज्य के अपने गैर-कर राजस्व)
राज्य की अपनी कमी	राजकोषीय घाटा-केंद्रीय करों/शुल्कों में हिस्सेदारी-केंद्र सरकार से प्राप्त अनुदान
गैर नियोजित राजस्व गैप	राजस्व कमी - 'योजना' लेखे पर राजस्व कमी = राजस्व कमी - (योजना राजस्व व्यय - योजना अनुदान)
प्राथमिक राजस्व व्यय	कुल राजस्व व्यय - ब्याज भुगतान।

परिशिष्ट-1.4

(संदर्भ: पैराग्राफ: 1.1.1, पैराग्राफ: 1.2 और 1.3)

राज्य सरकार वित्त पर समय श्रृंखला डेटा[1]

(₹ करोड़ में)

भाग - क प्राप्ति					
राजकोषीय सकल	**2013-14**	**2014-15**	**2015-16**	**2016-17**	**2017-18**
1. राजस्व प्राप्तियां (क) + (ख)	**27,128**	**28,939**	**35,781**	**41,978**	**48,512**
(क) कर राजस्व	10,415 (38)	10,811 (37)	15,141 (42)	17,308 (41)	21,448 (44)
(i) राज्य के अपने कर से राजस्व	6,273 (23)	6,334 (22)	7,326 (20)	7,819 (19)	9,536 (20)
जिसके भाग है					
स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स	0	0	0	0	2,611 (27)
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	4,579 (73)	4,602 (16)	5,277 (15)	6,012 (77)	4,493 (47)
राज्य उत्पाद शुल्क	440 (7)	466 (2)	533 (2)	569 (7)	833 (9)
वाहनों पर कर	134 (2)	132 (1)	145 (0.43)	150 (2)	228 (2)
टिकट और पंजीकरण शुल्क	261 (4)	248 (1)	264 (1)	227 (4)	307 (3)
भू राजस्व	16 (1)	15 (0.05)	12 (0.03)	17 (0.28)	29 (0.30)
अन्य कर	843 (13)	871 (5)	1,095 (3)	844 (11)	1,035 (11)
(ii) केंद्रीय करों और शुल्कों में राज्य का हिस्सा	4,142 (15)	4,477 (15)	7,814 (22)	9,489 (23)	11,912 (25)
(ख) गैर-कर राजस्व	16,713 (62)	18,127 (63)	20,640 (58)	24,670 (59)	27064 (56)
(i) राज्य का अपना गैर-कर राजस्व	2,870 (11)	1,978 (7)	3,913 (11)	4,072 (10)	4,362 (9)
जिसमें शामिल हैं					
बिजली विभाग प्राप्ति	1,533 (53)	1,428 (72)	1,477 (38)	2,770 (68)	3,151 (72)
(ii) केंद्र सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान	13,843 (51)	16,150 (56)	16,728 (47)	20,598 (49)	22,702 (47)
राज्य के अपने राजस्व (क) (i) + (ख) (i)	9,143	8,312	11,239	11,891	13,898
केंद्र से राजस्व स्थानान्तरण (क) (ii) + (ख) (ii)	17,985	20,627	24,542	30,087	34,614
2. विविध पूंजी प्राप्तियां (ऋण और अग्रिम की पुनर्प्राप्ति)	**4**	**3**	**4**	**19**	**4**
3. सकल सार्वजनिक ऋण प्राप्तियां (राजस्व धन अग्रिमों की प्राप्ति सहित)	**6,002**	**10,259**	**14,645**	**20,749**	**25,557**
4. समेकित निधि में कुल प्राप्तियां (1+2+3)	**33,134**	**39,201**	**50,430**	**62,746**	**74,073**
5. आकस्मिक निधि प्राप्तियां	**-**	**0.55**	**0**	**0**	**0.15**
6. सकल लोक लेखा प्राप्तियां (विभागीय नकद चैस्ट और नकद बचत में प्राप्तियों सहित)	**32,406**	**37,242**	**49,546**	**35,983**	**30,698**
सकल प्राप्तियां(6+5+4)	**65,540**	**76,443**	**99,976**	**98,729**	**1,04,771**
लोक लेखा प्राप्तियां (निवल) (विभागीय नकद चैस्ट और नकद बचत में प्राप्तियों सहित)	**2,790**	**3,906**	**4,312**	**2,396**	**(-)164**

[1] 01 करोड़ का अंतर जहां भी है, वह राऊंड ऑफ करने के कारण है।

भाग - ख वितरण					
राजकोषीय सकल	**2013-14**	**2014-15**	**2015-16**	**2016-17**	**2017-18**
1. राजस्व व्यय **(क) + (ख) = (i) + (ii) + (iii)**	**27,058** **(85)**	**29,329** **(85)**	**36,420** **(83)**	**39,812** **(83)**	**40,916** **(80)**
(क) योजना/सीएसएस/सीए	1,839 (7)	2,872 (10)	1,573 (4)	2,000 (5)	2,500 (6)
(ख) गैर-नियोजित/सामान्य/साधारण/ एसएफई	25,219 (93)	26,457 (90)	34,847 (96)	37,812 (95)	38,416 (94)
(i) सामान्य सेवाएं (ब्याज भुगतान सहित)	11,374 (42)	12,039 (41)	13,675 (38)	15,110 (38)	16,888 (41)
(ii) सामाजिक सेवा	6,319 (23)	8,501 (29)	11,331 (31)	11,564 (29)	13,117 (32)
(iii) आर्थिक सेवाएँ	7,526 (28)	8,789 (30)	11,414 (31)	13,138 (33)	10,911 (27)
2. पूंजीगत व्यय **(क) + (ख) = (i) + (ii) + (iii)**	**4,507** **(15)**	**5,134** **(15)**	**7331** **(17)**	**8,286** **(17)**	**10,353** **(20)**
(क) योजना/सीएसएस/सीए	4,172 (93)	4,501 (88)	1,256 (17)	1,440 (17)	2,716 (26)
(ख) गैर-नियोजित/सामान्य	335 (7)	633 (12)	6,075 (83)	6,846 (83)	7,637 (74)
(i) सामान्य सेवाएँ	648 (14)	608 (12)	1112 (17)	769 (9)	803 (8)
(ii) सामाजिक सेवा	1,230 (28)	1,608 (31)	2674 (36)	2,306 (28)	2,787 (27)
(iii) आर्थिक सेवाएँ	2,629 (58)	2,918 (57)	3,545 (48)	5,211 (63)	6,763 (65)
3. ऋण और अग्रिम का संवितरण	**121**	87	94	76	25
4. कुल (1 + 2 + 3)	**31,686**	**34,550**	**43,845**	**48,174**	**51,294**
5. सार्वजनिक ऋण का सकल भुगतान (राजस्व धन अग्रिमों के पुनर्भुगतान सहित) जिसमें शामिल है	**4,147**	**8,549**	**10,815**	**17,023**	**22,490**
आंतरिक ऋण (राजस्व धन अग्रिम और ओवरड्राफ्ट को छोड़कर)	1,218	1,213	1,485	1,951	3,168
राजस्व धन अग्रिम और ओवरड्राफ्ट के तहत निवल लेनदेन	**-**	**226**	**0**	**890**	**589**
भारत सरकार का विनियोजन	79	112	113	114	116
6. आकस्मिक निधि का विनियोजन	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**
7. समेकित निधि का सकल संवितरण	**35,833**	**43,099**	**54,660**	**65,197**	**73,784**
8. आकस्मिक निधि संवितरण	**-**	**-**	**0**	**0**	**0.17**
9. सकल लोक लेखा संवितरण	**29,616**	**33,336**	**45,234**	**33,587**	**30,862**
10. सकल संवितरण (7+8+9)	**65,449**	**76,435**	**99,894**	**98,784**	**1,04,646**
11. नकद शेष में वृद्धि	**972**	**338**	**82**	**(-)55**	**125**
.12कुल योग	**66,421**	**76,773**	**99,976**	**98,729**	**1,04,771**

भाग - ग घाटा					
1. राजस्व अधिशेष (+) / राजस्व घाटा (-) (राजस्व प्राप्तियां-राजस्व व्यय)	**(+)70**	**(-)390**	**(-) 640**	**(+)2,166**	**(+)7,595**
2. राजकोषीय घाटा (-) / अधिशेष (+) (सार्वजनिक ऋण और अन्य देनदारियों के शोधन को छोड़कर कुल व्यय - कुल गैर-ऋण प्राप्तियां)	**(-)4,554**	**(-)5,608**	**(-)8,060**	**(-)6,177**	**(-)2,778**
3. प्राथमिक घाटा (-) / अधिशेष (+) (राजकोषीय घाटा-ब्याज भुगतान)	**(-)1,553**	**(-)2,075**	**(-)4,341**	**(-)1,610**	**(+)1885**
4. ब्याज भुगतान (राजस्व व्यय में शामिल)	**3,001**	**3,533**	**3,719**	**4,567**	**4,663**
5. राजस्व बकाया	**1,433**	**1,399**	**1,399**	**1,468**	**1,946**
6. स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता, आदि।	**1,481**	**1,535**	**1,523**	**1,729**	**2,754**
7. राजस्व धन साधन अग्रिम/प्राप्त ओवर ड्राफ्ट (दिन)	**107** (7 दिनों में ओवरड्राफ्ट)	**207** (2 दिनों पर ओवर ड्राफ्ट)	**215** (7 दिनों पर ओवर ड्राफ्ट)	**242** (2 दिनों पर ओवर ड्राफ्ट)	**199** (27 दिनों पर ओवर ड्राफ्ट)
8. डब्ल्यूएमए/ओवरड्राफ्ट पर ब्याज	**4**	**9**	**13**	**19**	**22**
9. लोक ऋण प्राप्ति	**3,152**	**10,033**	**14,645**	**20,749**	**25,557**
10. सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी[2])	**95,619**	**98,370**	**1,17,187**	**1,26,847**	**1,40,887**
11. लोक लेखा को छोड़कर बकाया लोक ऋण[3] (वर्ष अंत)	**26,490**	**28,201**	**32,031**	**35,756**	**38,823**
12. ब्याज के साथ बकाया प्रतिभूतियां (वर्ष अंत)	**2,714**	**2,860**	**2,827**	**2,636**	**2,416**
13. अधिकतम राशि की गारंटी (वर्ष अंत)	**4,656**	**4,232**	**4,214**	**4,270**	**4,271**
14. अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	**267**	**671**	**938**	**119**	**428**
15. अपूर्ण परियोजनाओं में अवरूद्ध पूंजी	**832**	**1,902**	**1,734**	**393**	**570**
कुल व्यय/जीएसडीपी (*प्रतिशत*)	**33.14**	**35.12**	**37.41**	**37.98**	**36.41**
राजस्व प्राप्ति/कुल व्यय (*प्रतिशत*)	**86**	**84**	**82**	**87**	**95**
राजस्व व्यय/कुल व्यय (*प्रतिशत*)	**85**	**85**	**83**	**83**	**80**
सामाजिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय (*प्रतिशत*)	**23.82**	**29.26**	**31.94**	**29**	**31**
आर्थिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय (*प्रतिशत*)	**32.05**	**33.88**	**34.12**	**38**	**34.46**
पूंजीगत व्यय/कुल व्यय (प्रति *प्रतिशत*)	**14.22**	**14.86**	**16.72**	**17.20**	**20.18**
सामाजिक और आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय/कुल व्यय (*प्रतिशत*)	**12.18**	**13.10**	**14.18**	**15.60**	**18.62**
जीएसडीपी के *प्रतिशत* के अनुसार राजस्व अधिशेष	**(+)0.07**	**(-)0.40**	**(-) 0.55**	**(+)1.71**	**(+)5.39**
जीएसडीपी के *प्रतिशत* के अनुसार राजकोषीय घाटा	**(-)4.76**	**(-)5.70**	**(-)6.88**	**(-)4.87**	**(-)1.97**
जीएसडीपी के *प्रतिशत* के अनुसार प्राथमिक घाटा	**(-)1.62**	**(-)2.11**	**(-)3.70**	**(-)1.27**	**(+)1.34**
राजस्व घाटा/राजकोषीय घाटा (*प्रतिशत*)	**लागू नहीं**	**6.95**	**8.08**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**
राजकोषीय देयताएं/जीएसडीपी (*प्रतिशत*)	**46.72**	**49.11**	**47.24**	**49.05**	**48.41**
राजकोषीय देयताएं/राजस्व प्राप्तियां (*प्रतिशत*)	**164.67**	**166.95**	**154.71**	**148.22**	**140.62**
ऋण शोधन (मूल+ब्याज)/वर्ष हेतु कुल ऋण प्राप्तियों	**89.41**	**99.39**	**99.24**	**104.05**	**106.24**
ब्याज पर रिटर्न	**128.88**	**128.88**	**54.13**	**45.11**	**Nil**
वित्तीय परिसंपत्तियां/देयताएं	**1.36**	**1.28**	**1.23**	**1.24**	**1.34**

स्रोत: वित्त खाते

[2] राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर जीएसटीपी के आंकड़े

[3] केवल केंद्र सरकार से प्राप्त आंतरिक ऋण और अग्रिम शामिल हैं।

परिशिष्ट-1.5

(संदर्भ: पैराग्राफ: 1.1.1 और 1.3)

वर्ष 2016-17 और 2017-18 के लिए प्राप्तियों और संवितरणों का सार

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियां				संवितरण			
विभिन्न मद	**2016-17**	**2017-18**		**विभिन्न मद**	**2016-17**	**2017-18**	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
भाग-क: राजस्व							
I. राजस्व प्राप्ति	**41,978.47**		**48,511.88**	**I. राजस्व व्यय**	**39,812.18**		**40,916.49**
स्वयं-कर राजस्व	*7,819.13*	*9,536.40*		**सामान्य सेवाएँ**	**15,110.66**	**16,888.21**	
				सामाजिक सेवाएं	**11,563.68**	**13,116.97**	
गैर-कर आय	*4,072.19*	*4,362.34*		शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	*5,769.91*	*6,975.16*	
				स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	*2,375.49*	*2,567.13*	
केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा	*9,488.60*	*11,911.65*		जल आपूर्ति, स्वच्छता/ एचएंडयूडी	*1,900.83*	*2,102.55*	
				सूचना और प्रसारण	*48.34*	*45.97*	
गैर-नियोजित अनुदान	*12,776.41*	*0*		अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	*95.52*	*108.76*	
				श्रम और श्रम कल्याण	*31.59*	*35.21*	
राज्य योजना परियोजनाओं के लिए अनुदान	7,765.93	0		समाज कल्याण और पोषण	*1311.38*	*1,248.00*	
				अन्य	*30.62*	*34.19*	
केन्द्रीय और केन्द्र प्रायोजित योजना योजनाओं के लिए अनुदान	*56.21*	*0*					
विशेष योजना परियोजनाओं के लिए अनुदान	0	0		**आर्थिक सेवाएं**	**13,137.84**	**10,911.31**	
केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं	0	9,096.19		कृषि और सहायक गतिविधियाँ	*1,954.71*	*2,032.33*	
वित्त आयोग अनुदान	0	11,849.00		ग्रामीण विकास	*515.77*	*363.85*	
भारत सरकार से अनुदान (अन्य स्थानांतरण/राज्यों को अनुदान)	0	1,756.30		विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	*564.90*	*595.69*	
				सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	*506.67*	*521.95*	
				ऊर्जा	*8,060.17*	*5,061.91*	
				उद्योग और खनिज	*303.28*	*326.62*	

प्राप्तियां				संवितरण			
विभिन्न मद	**2016-17**	**2017-18**		**विभिन्न मद**	**2016-17**	**2017-18**	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
				परिवहन	*777.64*	*1,333.90*	
				विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	*28.24*	*30.74*	
				सामान्य आर्थिक सेवाएं	*426.46*	*644.32*	
II. भाग-ख में दर्शाया गया राजस्व घाटा	**-**	**-**	**-**	**II. भाग-ख में दर्शाया गया राजस्व अधिशेष**	***2,166.29**	**-**	**7,595.39**
कुल भाग-क	**41,978.47**		**48,511.88**	**कुल भाग-क**	**41,978.47**		**48,511.88**

** ₹ 1,397.55 करोड़ की सीमा तक उदय बांड से प्राप्त व्यय को छोड़कर राजस्व अधिशेष ₹ 3,563.84 करोड़ हैं।*

प्राप्तियां				संवितरण			
विभिन्न मद	**2016-17**	**2017-18**		**विभिन्न मद**	**2016-17**	**2017-18**	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
भाग ख: पूंजी							
III. स्थायी अग्रिम और नकद शेष निवेश सहित आदि नकद शेष	**526.90**		**428.62**				
IV. विविध पूंजीगत प्राप्तियां	**0**		**0**	**III. पूंजीगत आउटले**	**8,285.53**		**10,352.88**
				सामान्य सेवाएं	**768.71**	**803.02**	
				सामाजिक सेवा	**2,305.78**	**2,787.01**	
				शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	566.01	884.90	
				स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	434.85	510.58	
				जल आपूर्ति, स्वच्छता /एचएंडयूडी	863.26	1,025.65	
				सूचना और प्रसारण	2.97	2.32	
				अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	36.43	100.57	
				समाज कल्याण और पोषण	311.24	252.49	
				अन्य सामाजिक सेवाएं	91.02	10.50	
				आर्थिक सेवाएँ	**5,211.04**	**6,762.85**	
				कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ	732.67	917.02	
				ग्रामीण विकास	1,117.19	1,849.85	
				विशेष क्षेत्रों के कार्यक्रम	198.32	226.34	
				सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	466.62	373.52	
				ऊर्जा	699.46	660.22	
				उद्योग और खनिज	204.35	210.92	
				परिवहन	831.85	1,571.00	
				विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	9.59	52.45	
				सामान्य आर्थिक सेवाएँ	950.99	901.53	
V. ऋण और अग्रिम की पुनर्प्राप्ति	**19.37**		**4.41**	**IV. ऋण और अग्रिम संवितरण**	**76.24**		**24.75**
उद्योग और खनिज	2.50	2.50		उद्योग और खनिज	32.49	13.29	
ऊर्जा				परिवहन	30.00	7.50	
सरकारी सेवक	1.17	1.64		सरकारी सेवक	2.45	3.96	
अन्य	15.70	0.27		अन्य	11.30		

प्राप्तियां				संवितरण			
विभिन्न मद	**2016-17**	**2017-18**		**विभिन्न मद**	**2016-17**	**2017-18**	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
VI. राजस्व अधिशेष	**2,166.29**		**7,595.39**	**V. राजस्व घाटा**	**0.00**		**0.00**
VII. सार्वजनिक ऋण प्राप्तियां	**20,748.53**		**25,557.58**	**VI. सार्वजनिक ऋण का पुनर्भुगतान**	**17,023.29**		**22,490.14**
आंतरिक ऋण के अलावा अन्य राजस्व धन अग्रिम और ओवरड्राफ्ट	*20,723.83*	*25,525.98*		आंतरिक ऋण के अलावा अन्य राजस्व धन अग्रिम और ओवरड्राफ्ट	*16,908.71*	*22,374.19*	
भारत सरकार से ऋण और अग्रिम	*24.70*	*31.60*		भारत सरकार से ऋण और अग्रिमों का पुनर्भुगतान।	*114.58*	*115.95*	
रिजर्व बैंक से ओवरड्राफ्ट के तहत निवल लेनदेन				ओवरड्राफ्ट सहित राजस्व धन अग्रिमों के तहत निवल लेनदेन			
VIII. आकस्मिक निधि के लिए विनियोजन	--		*0*	**VII. आकस्मिक निधि के लिए विनियोजन**			--
IX. आकस्मिक निधि से राशि की प्रतिपूर्ति	--		*0.15*	**III- आकस्मिक निधि से व्यय**	**0.10**		**0.17**
X. लोक लेखा प्राप्तियां	**21,811.06**		**15,121.96**	**IX- लोक लेखा संवितरण**	**19,458.37**		**15,285.79**
लघु बचत और भविष्य निधि	4,625.73	5,032.41		लघु बचत और भविष्य निधि	*2,779.95*	*3,476.24*	
रिजर्व फंड	452.41	419.22		रिजर्व फंड	*111.29*	*129.35*	
जमा और अग्रिम	3,823.50	4,894.44		जमा और अग्रिम	*2,874.23*	*3,809.95*	
उच्चंत और विविध	3,589.86	3,842.12		उच्चंत और विविध	*3,682.92*	*3,981.69*	
विप्रेषण	9,319.56	933.77		विप्रेषण	*10,009.98*	*3,888.56*	
				X. अंत में नकद शेष	**428.62**		**554.38**
				कोषागार और स्थानीय प्रेषण में नकद	*6.77*	*6.77*	
				बैंकों के पास जमा धन	*21.98*	*147.74*	
				स्थायी अग्रिम सहित विभागीय नकद शेष	*5.09*	*5.09*	
				नकद शेष निवेश	*383.92*	*383.92*	
				आरक्षित निधि निवेश	*10.86*	*10.86*	
कुल भाग-ख	**45,272.15**		**48,708.11**	**कुल भाग-ख**	**45,272.15**		**48,708.11**

विस्तृत टिप्पण

1. पूर्वगामी विवरणों में संक्षिप्त लेखों को वित्त लेखों में टिप्पणियों और स्पष्टीकरणों के साथ पढ़ना होगा।
2. सरकारी लेखे मुख्यतः नकदी आधार पर होने के कारण सरकारी लेखे में घाटा वाणिज्यिक लेखांकन में अर्जन आधार के विपरीत नकदी आधार पर स्थिति को इंगित करता है। परिणाम स्वरूप, देय या प्राप्य मद या स्टॉक आंकड़ों पर मूल्यह्रास या भिन्नता जैसे मद खातों में नहीं होती हैं।
3. उच्चंत और विविध शेष राशि में जारी किए गए चेक शामिल हैं, लेकिन भुगतान नहीं किया गया और राज्य की ओर से किए गए भुगतान और अन्य लंबित निपटान आदि शामिल हैं।

परिशिष्ट-1.5 (पूर्ववत जारी)
31 मार्च 2018 की स्थिति तक जम्मू और कश्मीर सरकार की संक्षिप्त वित्तीय स्थिति

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2017 तक			31 मार्च 2018 तक	
		देयताएं		
	34,266.75	**आंतरिक ऋण**		**37,418.53**
22,045.60		ब्याज दर वाला बाजार ऋण	26,019.50	
1,547.52		एलआईसी से ऋण	1,415.90	
10,673.63		अन्य संस्थाओं से ऋण	9,983.13	
	1,489.20	**केंद्र सरकार से ऋण और अग्रिम**		**1,404.85**
37.79		1984-85 से पहले के ऋण	37.79	
96.29		गैर-नियोजित ऋण	96.29	
1,345.87		राज्य योजना परियोजनाओं के लिए ऋण	1,229.92	
-		केंद्रीय प्रायोजित परियोजनाओं के लिए ऋण	31.60	
9.25		राजस्व धन अग्रिम	9.25	
	1.00	**आकस्मिक निधि**		**1.00**
	19,362.63	**लघु बचत, भविष्य निधि, आदि।**		**20,918.79**
	1,885.38	**रिजर्व फंड**		**2,175.25**
	5,214.24	**जमा**		**6,298.73**
	3,718.37	**प्रेषण शेष**		**763.58**
	16,115.84	**सरकारी खाते में अधिशेष**		**23,711.23**
	82,053.41	**कुल**		**92,691.96**

31 मार्च 2017 तक			31 मार्च 2018 तक	
परिसंपत्तियां				
	79,712.27	**स्थिर परिसंपत्तियों पर सकल पूंजी परिव्यय**		**90,065.15**
803.74		कंपनियों, निगमों आदि के शेयरों में निवेश।	653.52	
78,908.53		अन्य पूंजी आउटले	89,411.63	
	1,640.52	**ऋण और अग्रिम**		**1,660.85**
746.51		उद्योग और खनिज	757.30	
566.12		परिवहन	573.62	
85.05		ऊर्जा	85.05	
40.73		कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ	40.69	
183.70		अन्य विकास ऋण	183.46	
18.41		सरकारी सेवक को ऋण और विविध ऋण	20.73	
	12.69	**अग्रिम**		**12.69**
	259.16	**उच्चंत और विविध शेष**		**398.72**
	0.15	**आकस्मिक निधि (प्रतिपूर्ति रहित)**		**0.17**
	-	अंत शेष लेखा शीर्ष से राशि को राईट ऑफ करना		**-**
	428.62	**नकद**		**554.38**
6.77		कोषागार में नकद और स्थानीय प्रेषण	6.77	
21.98		बैंक के पास जमा	147.74	
4.97		विभागीय नकद शेष	4.97	
0.12		स्थायी अग्रिम	0.12	
383.92		नकद शेष निवेश	383.92	
10.86		रिजर्व फंड निवेश	10.86	
		सरकारी खाते में घाटा		**-**
	82,053.41	**कुल**		**92,691.96**

स्रोत: वित्त लेखे

परिशिष्ट-1.6

(संदर्भ: पैराग्राफ: 1.1.2)

जम्मू और कश्मीर राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम, 2006

एफआरबीएम अधिनियम की धारा 9 ने 2006-07 से 2009-10 की अवधि के लिए राज्य सरकार पर निम्नलिखित बाध्यताएं लागू की हैं:

(क) राजस्व अधिशेष को बनाए रखा जाना था और अधिशेष को लगातार सुदृढ़ करने के लिए कदम उठाए जाने थे।

(ख) हस्तांतरण पूर्व गैर-नियोजित राजस्व घाटे को वर्ष 2009-10 तक जीएसडीपी के अधिकांश 20 *प्रतिशत* तक उत्तरोत्तर रूप से कम किया जाना था और उसके बाद, वर्ष 2006-07 से शुरू होने वाले जीएसडीपी के एक *प्रतिशत* की न्यूनतम वार्षिक कमी के साथ स्तर को बनाए रखना था। (वर्ष 2005-06 में राज्य का हस्तांतरण पूर्व गैर-नियोजित राजस्व घाटा जीएसडीपी का 24.73 *प्रतिशत* था।

(ग) वर्ष 2006-07 से शुरू होने वाले जीएसडीपी की 0.5 *प्रतिशत* की न्यूनतम वार्षिक कमी के साथ वर्ष 2009-10 तक जीएसडीपी की अधिकतम तीन *प्रतिशत* तक राजकोषीय घाटे को उत्तरोत्तर रूप से कम किया जाना था। (वर्ष 2005-06 में राज्य का राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 9.96 *प्रतिशत* था।

(घ) वर्ष 2006-07 से शुरू होने वाले जीएसडीपी की पांच *प्रतिशत* तक की न्यूनतम वार्षिक कमी के साथ वर्ष 2009-10 तक 'बकाया कुल देयताओं' को उत्तरोत्तर रूप से कम करके जीएसडीपी को 55 *प्रतिशत* तक कम किया जाना था। (आधार वर्ष 2005-06 के लिए अधिनियम में यथा परिभाषित राज्य की ''बकाया कुल देयताएं'' सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के बकाया होने के कारण आसानी से उपलब्ध नहीं हैं। वर्ष 2005-06 में सरकारी लेखाओं के अनुसार सरकार की बकाया देयताएं जीएसडीपी का 63.31 *प्रतिशत* थीं। 13वें वित्त आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, जीएसडीपी के सापेक्ष राज्य का बकाया ऋण जीएसडीपी का 63.27 *प्रतिशत* था)।

(ड) किसी वित्तीय वर्ष में वार्षिक वृद्धिशील जोखिम वाली गारंटियों को पिछले वित्तीय वर्ष में कुल राजस्व प्राप्तियों के 75 *प्रतिशत* जो भी कम हो या पिछले वित्तीय वर्ष के जीएसडीपी के 7.5 *प्रतिशत* तक सीमित किया जाना था, जो भी कम हो।

अधिनियम में यह भी विचार किया गया था कि सरकार अधिनियम के प्रावधानों उपबंधों के समय-समय पर अनुपालन की समीक्षा करने और राज्य विधान मंडल के प्रत्येक सदन में ऐसी समीक्षा प्रस्तुत करने के लिए सरकार से अलग एक स्वतंत्र एजेंसी स्थापित कर सकती है।

एफआरबीएम नियमावली (जनवरी 2008) द्वारा वित्तीय संकेतकों की निगरानी के लिए, मैक्रो आर्थिक ढांचा विवरण (एमईएफएस)/मध्यम अवधि राजकोषीय नीति विवरण (एमटीएफपीएस)/राजकोषीय नीति योजना विवरण (एफपीएसएस) के राज्य विधानमंडल के लिए बजट और विधानमंडल को राजकोषीय सूचना दर्शाते हुए कई विवरण सहित वार्षिक रूप से प्रारूपों को प्रस्तुत किया जाना निर्दिष्ट किया गया है। अधिनियम/नियमों के अंतर्गत प्रकटीकरण आवश्यकताएं वर्ष 2008-09 के बजट से कार्यान्वित की गई थीं। 12वें और 13वें वित्त आयोग की स्वीकृत सिफारिशों के अनुसार ऋण/घाटे में कमी के लक्ष्यों को पुन: निर्धारित करने/छूट देने के लिए एफआरबीएम अधिनियम में संशोधन किया गया है, जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है:

- हस्तांतरण पूर्व गैर-नियोजित मूल राजस्व घाटे, राजकोषीय घाटे और बकाया कुल देयताओं को अधिनियम में मार्च, 2009 की अपेक्षा मार्च, 2010 तक क्रमश: 20 *प्रतिशत*, तीन *प्रतिशत* और 55 *प्रतिशत* तक कम करने के लिए 17 दिसम्बर, 2008 को एफआरबीएम अधिनियम में संशोधन किया गया था।

- 20 अप्रैल, 2010 को अधिनियम में संशोधन के अनुसार वर्ष 2009-10 के लिए लक्षित राजकोषीय घाटा जीएसडीपी के तीन *प्रतिशत* से बढ़ाकर जीएसडीपी के चार *प्रतिशत* कर दिया गया। चूंकि वर्ष 2009-10 पहले ही समाप्त हो चुका था, पुन: निर्धारित लक्ष्य लागू नहीं किया जा सकता था।

- 9 अप्रैल, 2011 को अधिनियम में संशोधन के अनुसार, वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक की पांच वर्षों की अवधि के लिए वार्षिक राजकोषीय घाटे के लक्ष्यों को जीएसडीपी के 5.3 *प्रतिशत*, 4.7 *प्रतिशत*, 4.2 *प्रतिशत*, 3.6 *प्रतिशत* और 3.0 *प्रतिशत* तक पुन: निर्धारित किया गया है। चूंकि वर्ष 2010-11 पहले ही कार्य पूर्ण हो चुका था, इसलिए पुन: निर्धारित लक्ष्य लागू नहीं किया जा सकता था।

- 25 अगस्त, 2011 को, आदेश द्वारा एफआरबीएम में एक संशोधन द्वारा 2010-11 से 2014-15 की पांच वर्षों की अवधि के दौरान 56.1 *प्रतिशत*, 55.1 *प्रतिशत*, 53.6 *प्रतिशत*, 51.6 *प्रतिशत* और 49.3 *प्रतिशत* तक जीएसडीपी की प्रतिशतता के रूप में बकाया ऋण के लिए वार्षिक लक्ष्य पुन: निर्धारित किया गया, जैसा कि 13वें वित्त कमीशन द्वारा सिफारिश की गई

थी। (चूँकि वर्ष 2010-11 पहले ही समाप्त हो चुका था, पुन: निर्धारित लक्ष्य लागू किये जाने योग्य नहीं था)।

- 14वें वित्त आयोग (2015-2020) की अवार्ड अवधि के दौरान जीएसडीपी की तीन *प्रतिशत* की वार्षिक सीमा तक राजकोषीय घाटे को रखने के लिए एफआरबीएम और बजट प्रबंधन में संशोधन 13 फरवरी 2018 को किया गया था।

परिशिष्ट-1.7
(संदर्भ: पैराग्राफ: 1.1.2)
एफआरबीएम अधिनियम और नियमों का कार्यान्वयन

यदि विशेष रूप से वित्त आयोग के दायरे से बाहर यदि केंद्र सरकार पर्याप्त सहायता या ऋण राहत प्रदान करने का चयन करती है तो कोई भी राज्य सरकार राजकोषीय कमी, राजस्व घाटा, कुल देयताओं आदि को कम करने/समाप्त करने के लक्ष्यों को पूरा कर सकती है, राज्य की राजकोषीय सतर्कता या राजकोषीय उत्तरदायित्व का वास्तविक मापदंड राज्य की अपना घाटा है, जो राज्य के नियंत्रण में राज्य के व्यय और गैर-ऋण प्राप्तियों के बीच संसाधन अंतर को भी यह मानकर आंकता है कि पुरानी वित्तीय देयताएं नये उधार से पुन: वित्तपोषित होती रहेंगी। ये गैर-ऋण संसाधन राज्य की अपनी राजकोषीय नीतियों पर निर्भर हैं। राज्य ने केंद्र सरकार से संसाधनों के अंतरण पर निर्भरता को 2006-07 में 67 *प्रतिशत* से 2014-15 में 60 *प्रतिशत* तक घटाकर राज्य ने सुधार दर्शाया है। निस्संदेह, यह केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा राज्य सरकार के लेखों को छोड़कर कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे हस्तांतरित संसाधनों को ध्यान में नही रखा गया है।

- राज्य के पास 2013-14 तक राजस्व अधिशेष रहा लेकिन ऐसा केवल केंद्र सरकार से अनुदान के उच्च स्तर के कारण था। तथापि, राजस्व अधिशेष में ₹ 1,100 करोड़ (2012-13) से ₹ 70 करोड़ (2013-14) तक की तीव्र गिरावट देखी गई है और वर्ष 2014-15 और 2015-16 के दौरान इसे बनाए रखा नहीं जा सका जिसके परिणामस्वरूप ₹ 390 करोड़ और ₹ 640 करोड़ का राजस्व घाटा हुआ, यद्यपि वर्ष 2016-17 से 2017-18 के दौरान ₹ 2,166 करोड़ और ₹ 7,595 करोड़ का राजस्व अधिशेष है। राज्य का अपना घाटा लगातार अधिक बना हुआ है और व्यय वृद्धि की राजस्व बढ़ाने से अधिक तेजी से वृद्धि होने से बड़ रहा है।
- वर्ष 2009-10 के अंत तक राजकोषीय योजनाओं को जीएसडीपी के तीन *प्रतिशत* तक कम करने का मूल लक्ष्य बहुत व्यापक अंतर से चूक गया था क्योंकि उस वर्ष मूल राजकोषीय घाटा 9.1 *प्रतिशत* तक बढ़ गया था। 2010 में एफआरबीएम अधिनियम में संशोधन अनुसार 2009-10 के लक्ष्य को चार *प्रतिशत* तब बढ़ाया परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। राज्य ने

2011-12 में जीएसडीपी 4.7 *प्रतिशत* और 2012-13 में जीएसडीपी 4.2 *प्रतिशत* और 2013-14 में 3.6 *प्रतिशत* तक राजकोषीय घाटे का दर्शाया, लेकिन राजकोषीय घाटा वास्तव में क्रमश: 5.6, 5.4 और 5.2 *प्रतिशत* था। वर्ष 2014-15, 2015-16, 2016-17 और 2017-18 का राजकोषीय घाटा 6.4, 8.8, 5.4 और 1.9 *प्रतिशत* के राजकोषीय कार्यों के साथ समाप्त हुआ जो 2016-17 तक तीन *प्रतिशत* के लक्ष्य से काफी अधिक रहा और चालू वर्ष के दौरान तीन *प्रतिशत* के लक्ष्य से काफी कम था।

- एफआरबीएम नियमों में (क) कुल राजस्व प्राप्तियों के *प्रतिशत* के रूप में राजकोषीय घाटा (ख) जीएसडीपी के *प्रतिशत* के रूप में राजस्व घाटा और (ग) जीएसडीपी के *प्रतिशत* के रूप में कुल बकाया देयताओं के लिए वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। ये नियम "हस्तांतरण पूर्व गैर-नियोजित राजस्व घाटा" जिसे 2009-10 तक जीएसडीपी के 20 *प्रतिशत* तक कम किया जाना था के लिए वार्षिक लक्ष्यों को परिभाषित नहीं करते, वास्तव में, इस राजकोषीय मानदंड कानून का राज्य विधान मंडल को प्रस्तुत किए गए बजट दस्तावेजों में भी उल्लेख नहीं किया जा रहा है। स्पष्ट रूप से इस मानदंड पर सरकार का ध्यान नहीं गया क्योंकि राजकोषीय रियायतें/ प्रोत्साहन इसके अनुपालन से जुड़े हुए हैं।

- एफआरबीएम अधिनियम ''बजट से बाहर दिये गये मूल और/या ब्याज जहां गारंटी सहित सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (पीएसयू) और विशेष उद्देश्य वाहन (एसपीवी) और अन्य समान तंत्र द्वारा उधार सहित राज्य की समेकित निधि और राज्य के लोक लेखे के अंतर्गत देयताओं के रूप में 'कुल देयताओं' को परिभाषित करता है।'' यह व्यापक योग था जिसे जीएसडीपी के 55.1 *प्रतिशत* तक सीमित करने का लक्ष्य था। तथापि, राज्य सरकार सरकार के लेखों का हिस्सा बनने वाली सरकार की वित्तीय देयताओं को शामिल करती रही। पीएसयू/एसपीवी की देयताओं को शामिल नहीं किया गया है। इस अनुपालन को इस तथ्य ने कठिन बना दिया था कि कई पीएसयू के लेखों में काफी बकाया है और इसलिए उनकी देनदारियों का पता नहीं लगाया जा सका। इनमें सरकारी लेखों से अलग बैंक खातों में सरकारी अधिकारियों द्वारा धारित निधियों के कारण

देनदारियों को शामिल नहीं किया जाता है, जो सामान्यत: राज्य लोक लेखे में क्रेडिट किया जाना चाहिए। वित्त विभाग सरकारी लेखों से बाहर धारित इन नकद शेष की निगरानी नहीं कर रहा है यद्यपि इसे सरकारी अधिकारियों द्वारा परिचालित किया गया था। पेंशन और अन्य सेवानिवृति लाभों के संबंध में गैर-निधिकृत देयताएं भी इससे बाहर हैं, यद्यपि एफआरबीएम अधिनियम के अनुसार इन्हें भी शामिल किया जाना अपेक्षित था। इस प्रकार, 'कुल देयताओं' की गणना के संबंध में एफआरबीएम अधिनियम मुख्य प्रावधानों का अब तक अनुपालन नहीं किया गया है।

- विधानमंडल को प्रस्तुत की गई एफआरबीएम विवरणों में प्रकट की गई 'प्रतिबद्ध देयताओं' में ऐसी देयताएं शामिल नहीं हैं जैसे (क) वेतन और पेंशन संशोधन की अवितरित बकाया देयताएं (ख) विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाओं/कार्यक्रमों के अंतर्गत काऊटरपोर्ट मैचिंग फंड की देयता। इस प्रकार ऐसे व्ययों को स्थगित करने के बावजूद ऋण/घाटा कम करने के लक्ष्य से चूक गए।

- जीएसडीपी के बारे में कुछ मान्यताओं और पूर्वानुमानों पर 12वें और 13वें वित्त आयोगों द्वारा राजकोषीय घाटे, कुल देयताओं आदि के वार्षिक लक्ष्यों की सिफारिश की गई थी। जीएसडीपी डेटा को संशोधित किए जाने के बाद भी, इन लक्ष्यों को संगत रूप से संशोधित नहीं किया गया था। वर्ष 2004-05 को आधार वर्ष मानकर संशोधित किए जाने के बाद भी, वर्ष 2007-08 के लिए जीएसडीपी ₹ 35,620 करोड़ तक बढ़ गया। इस प्रकार, 1999-2000 के आधार वर्ष के रूप में जीएसडीपी श्रृंखला के संदर्भ में निर्धारित लक्ष्यों को एक नई जीएसडीपी श्रृंखला के साथ निर्धारित किया गया था जिसमें काफी अधिक संख्या दी गई थी, इसे कम करके संशोधित किया जाना चाहिए था। तथापि, ऐसा नहीं किया गया था। इस प्रकार, एफआरबीएम अधिनियम के अंतर्गत ऋण/बीमा में कमी के लक्ष्य (एफआरबीएम अधिनियम के *प्रतिशत* के रूप में) तेरहवें वित्त आयोग के अवलोकन से परे अपनी गणना की पद्धति में परिवर्तन पर जीएसडीपी में वृद्धि के कारण कम हो गए हैं। इस प्रकार, सरकार द्वारा किए गए राजकोषीय समेकन प्रयासों का मूल्यांकन और बजट दस्तावेजों में एफआरबीएम अधिनियम अनुपालन के मूल्यांकन की प्रक्रिया को भाजक

प्रभाव (जीएसडीपी में वृद्धि) और गणक प्रभाव (सरकारी ऋण में कमी और पूर्ण राशि में कमी) पूरा करने के लिए अंतर करना चाहिए।

- एफआरबीएम अधिनियम से अभिप्राय कि सरकार अधिनियम के उपबंधों के समय-समय पर अनुपालन की समीक्षा करने और राज्य विधान मंडल के प्रत्येक सदन में ऐसी समीक्षा करने के लिए सरकार से स्वतंत्र एजेंसी गठित कर सकती हैं। तथापि, अभी तक ऐसी कोई स्वतंत्र समीक्षा नहीं की गई है।

- एफआरबीएम अधिनियम में यह अपेक्षित था कि मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरण में, विधानमंडल को बजट के साथ प्रस्तुत किया जाए, सरकार; सरकार के राजकोषीय प्रबंधन उद्देश्यों को निर्धारित करेगी और अंतर्निहित मान्यताओं के स्पष्ट प्रतिज्ञापन के साथ निर्धारित राजकोषीय संकेतकों के लिए तीन वर्ष के अस्थाई लक्ष्य निर्धारित करेगी। (i) राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय के बीच संतुलन (ii) उत्पादक परिसंपत्तियों के सृजन के लिए उधार सहित पूंजीगत प्राप्तियाँ का उपयोग से संबंधित स्थिरता के मूल्यांकन को भी शामिल किया गया था। (iii) अगले दस वर्षों के लिए बीमांकिक आधार पर अनुमानित वार्षिक पेंशन देयताओं आंकलित से संबंधित राजकोषीय संकेतक और निरंतरता पीछे विभिन्न मान्यताएं भी इस विवरण में शामिल की गई थीं। अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि यदि अधिनियम के प्रवर्तन के बाद पहले तीन वर्षों की अवधि के दौरान बीमांकिक आधार पर पेंशन देयताओं की गणना करना संभव नहीं था, तो सरकार उस अवधि के दौरान प्रवृत्ति वृद्धि दर आधार पर पूर्वानुमान द्वारा पेंशन देयताओं का अनुमान लगा सकती है। तथापि, एफआरबीएम अधिनियम के इन उपबंधों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया था और वास्तव में विधानसभा को प्रस्तुत मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरणों में नियमों के उपबंधों को दोहराया गया था।

- एफआरबीएम अधिनियम के अंतर्गत, सरकार बजट दस्तावेजों में परिसंपत्तियों के सारांश को प्रकट करने के लिए प्रतिबद्ध है। बजट के साथ प्रस्तुत विवरणों में भूमि सहित परिसंपत्तियों के पुस्तक मूल्य को दर्शाया गया है। मूल्यांकन और पूर्णता का आधार देखने के लिए सहायक

अभिलेखों की लेखापरीक्षा के अभाव में लेखापरीक्षा द्वारा इन संख्याओं को स्वतंत्र रूप से सत्यापित नहीं किया जा सका।

- उपर्युक्त विचलनों के बावजूद, राज्य ने कर राजस्व में काफी वृद्धि करने के लिए आर्थिक गतिविधियों के बढ़ने से प्राप्त अवसरों का अच्छा उपयोग किया है। वाणिज्यिक करों के रिकार्ड एकत्र किये गये है और राज्यों के राजस्व में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। तथापि, व्यय में अधिक वृद्धि और स्थापना संबंधित व्यय प्रतिबद्धताओं और विद्युत क्षेत्र में संसाधन अंतर में अधिक कमी के संदर्भ में राज्य का अपना घाटा अधिक बने रहना, चिंता का विषय है।

परिशिष्ट-1.8

(संदर्भ: पैराग्राफ: 1.3)

वर्ष 2017-18 के दौरान राज्य के बजट से बाहर कार्यक्रमों/योजनाओं के अंतर्गत राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को अंतरित निधियां दर्शाने वाला विवरण। राज्य में कार्यान्वयन एजेंसियों को केन्द्रीय योजना निधियों का प्रत्यक्ष अंतरण (राज्य बजट के बाहर दी गई निधियां) (अलेखापरीक्षित आंकड़ें)

(₹ लाख में)

क्र. सं.	भारत सरकार योजना का नाम	राज्य में कार्यान्वयन एजेंसियां	भारत सरकार विज्ञप्ति				
			2017-18	2016-17	2015-16	2014-15	2013-14
1	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम)	अन्य सहित राज्य स्वास्थ्य विभाग	-	-	-	-	35,488.95
2	विशेष श्रेणी के राज्य डीआईपीपी के लिए पैकेज (उत्तर पूर्व के अलावा)	जम्मू और कश्मीर वित्तीय निगम लि।	-	-	-	3,569.47	4,116.86
3	एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम डीपीएडी, डीडीपी, आईडब्ल्यूडीपी, (आईडब्ल्यूएमपी)	सहायक आयुक्त (विकास) डीआरडीए	-	-	-	-	481.37
4	डीआरडीए प्रशासन आर.डी.	सहायक आयुक्त (विकास) डीआरडीए	-	-	-	-	1,161.49
5	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा)	सहायक आयुक्त (विकास) जिला ग्रामीण विकास एजेंसियां	-	-	-	-	60,315.73
6	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)	राज्य ग्रामीण सड़क एजेंसी	-	-	-	-	52,323.93
7	ग्रामीण आवास आईएवाई	सहायक आयुक्त जिला ग्रामीण विकास एजेंसियां	-	-	-	-	5,642.49
8	सर्व शिक्षा अभियान	उजाला सोसायटी जम्मू और कश्मीर	-	-	-	-	89,143.50
9	सांसद की स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड्स)	जिला उपायुक्त	4,500.00	3,250.00	5,500.00	3,500.00	-
10	बौद्ध और तिब्बती संस्थान और स्मारक	बौद्ध अध्ययन संस्थान	2,315.58	-	-	967.67	-
11	राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम	वन विकास एजेंसी, राजौरी, पुंछ, किश्तवार, रियासी, बटोत, रामबन आदि।	-	-	-	-	810.82

क्र. सं.	भारत सरकार योजना का नाम	राज्य में कार्यान्वयन एजेंसियां	भारत सरकार विज्ञप्ति				
			2017-18	2016-17	2015-16	2014-15	2013-14
12	आईएचएमएस/ एफसीआईएस/ आईआईटीटीएम/ एनआईडब्ल्यूएस आदि की सहायता	संस्थान और होटल प्रबंधन और खानपान प्रौद्योगिकी संस्थान	358.30	27.91	366.00	871.00	-
13	गंतव्य और सर्किट के लिए उत्पाद संरचना विकास	राज्य पर्यटन विभाग	-	-	-	-	-
14	केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम	एसडब्ल्यूएसएम सदस्य, सचिव सह अधीक्षण अभियंता कुपवाड़ा/श्रीनगर/ बारामूला/बडगाम	-	-	-	-	3,957.20
15	अनुसंधान और विकास सहायता (एसईआरसी)	पीएसयू, एसकेयूएएसटी कश्मीर विश्वविद्यालय	-	-	219.18	-	-
16	प्राकृतिक संसाधनों और पारिस्थितिकी तंत्र/व्यापक हथकरघा विकास योजना (सीएचडीएस) का संरक्षण	जम्मू और कश्मीर झील और जल मार्ग विकास प्राधिकरण के निदेशक हथकरघा विकास जम्मू कश्मीर श्रीनगर	-	-	-	-	2,989.53
17	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए)	उजाला सोसायटी, श्रीनगर/नूर सोसाईटी	-	-	-	-	13,578.18
18	राष्ट्रीय ग्रामीण पेय जल योजना	राज्य जल और स्वच्छता मिशन (एसडब्ल्यूएसएम)	-	-	-	-	41,266.25
19	सोलर पावर -ऑफ ग्रिड	अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी कारगिल / लद्दाख, जम्मू और कश्मीर ऊर्जा विकास / रॉयल स्प्रिंग गोल्फ कोर्स श्रीनगर / 6 वीं बीएन आईटीबीपी	90.33	3,515.92	5,996.19	2,201.96	-
20	प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस)	जम्मू और कश्मीर बैंक लिमिटेड	-	-	569.35	892.35	-
21	सभी गांवों के लिए ग्रामीण कार्यों के लिए अक्षय ऊर्जा	जम्मू और कश्मीर ऊर्जा विकास एजेंसी	-	-	143.32	-	-
22	व्यापक हथकरघा विकास योजना (सीएचडीएस)	निदेशक हथकरघा विकास विभाग, जम्मू-कश्मीर श्रीनगर / भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर।	-	871.50	131.87	-	142.04

क्र. सं.	भारत सरकार योजना का नाम	राज्य में कार्यान्वयन एजेंसियां	भारत सरकार विज्ञप्ति				
			2017-18	2016-17	2015-16	2014-15	2013-14
23	आजीविका स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरजोना	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी (डीआरडीए)	-	-	-	-	2,837.79
24	ग्रिड इंटरएक्टिव रिन्यूएबल पावर एमएनआरई	जम्मू और कश्मीर राज्य विद्युत विकास निगम लिमिटेड जम्मू और कश्मीर अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी	-	1,448.88	2,929.77	3,864.21	-
25	नॉर्थ ईस्ट और हिमालयन के लिए बागवानी मिशन	केंद्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान, श्रीनगर (आईसीएआर)	-	-	--	-	148.91
26	इंडस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन स्कीम आईआईयूएस डीआईपीपी	जम्मू और कश्मीर राज्य औद्योगिक विकास निगम।	-	-	-	-	-
27	मद्य और मादक द्रव्यों (दुरुपयोग) के निषेध की योजना	विधवा, अनाथ, विकलांग और पुराने व्यक्ति (मिलिटेंसी के शिकार) के पुनर्वास के लिए परिषद - [आरसीएमवी]	300.00	300.00	304.97	288.11	-
28	बाबा साहिब अंबेडकर हस्तशिल्प विकास योजना	विभिन्न एनजीओ और जेएंडके आंटरप्रनर शिप डेवलेपमैंट इंस्टीट्यूट	-	-	-	-	-
29	सेवा प्रदाताओं के लिए क्षमता निर्माण	संस्थान और होटल प्रबंधन और खानपान प्रौद्योगिकी श्रीनगर/खाद्य क्राफ्ट संस्थान (सोसाईटी) जम्मू	188.40	-	302.16	255.12	-
30	मानव संसाधन विकास जैव प्रौद्योगिकी	कश्मीर के कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एसके विश्वविद्यालय, श्रीनगर एचआरडी एनीमल बायोटैक एवं जम्मु विश्वविद्यालय, कश्मीर विश्वविद्यालय, भारतीय एकीकृत चिकित्सा संस्थान आदि।	-	613.85	-	122.89	-
31	राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम	जम्मू और कश्मीर राज्य एड्स की रोकथाम और नियंत्रण सोसायटी	-	-	-	-	487.40

क. सं.	भारत सरकार योजना का नाम	राज्य में कार्यान्वयन एजेंसियां	भारत सरकार विज्ञप्ति				
			2017-18	2016-17	2015-16	2014-15	2013-14
32	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	राज्य कृषि प्रबंधन और विस्तार प्रशिक्षण संस्थान (एसएएमईटीआई) जम्मू	-	-	-	-	1,749.92
33	खाद्य प्रसंस्करण पर राष्ट्रीय मिशन (सम्पदा) सीएस	सुपर स्टार मसाले, जियाफत ऑयल मिल्स, मीर एग्रो इंडस्ट्रीज, बसंतार ब्रुअरीज, डेली नीड मिल्क प्रोसेसिंग एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, फिल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, हंसराज एक्सपोर्ट्स, काचरू इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन।	-	-	1,815.75	-	-
34	कला और संस्कृति का प्रचार और प्रसार	सांगमत्रु कला उत्पादन	-	-	-	-	-
35	राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना	जम्मू और कश्मीर राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी सोसायटी सिविल अनुभाग जम्मू और कश्मीर	-	-	-	-	-
36	एकीकृत वस्त्र पार्क (एसआईटीपी)के लिए योजना	जम्मू और कश्मीर एकीकृत वस्त्र पार्क लिमिटेड	-	-	-	1,191.00	-
37	कौशल विकास	जम्मू और कश्मीर कौशल विकास पहल मॉड्यूलर रोजगार सोसायटी	-	-	-	263.10	1,130.63
38	राज्य अनुसूची जाति विकास निगम	जम्मू और कश्मीर एससीएसटी और बीसी विकास निगम लि.	-	-	-	-	-
39	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) को सहयोग	उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण विभाग	13,090.00	-	2,900.00	4,250.00	-
40	राष्ट्रीय राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम को सहयोग	जम्मू और कश्मीर एससी / एसटी और पिछड़ा वर्ग विकास निगम लिमिटेड	-	-	-	470.00	-

क्र. सं.	भारत सरकार योजना का नाम	राज्य में कार्यान्वयन एजेंसियां	भारत सरकार विज्ञप्ति				
			2017-18	2016-17	2015-16	2014-15	2013-14
41	वयस्क शिक्षा और कौशल विकास के लिए एनजीओ / संस्थानों / एसआरसी का सहयोग (एनजीओ, जेएसएस एसआरसी की विलय योजना)	जन शिक्षण संस्थान / राज्य संसाधन केंद्र, जम्मू और कश्मीर	-	-	114.25	-	-
42	विस्तार सुधार के लिए राज्य विस्तार कार्यक्रम का समर्थन	एनआईटी श्रीनगर/ जम्मू और कश्मीर राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लि.	-	-	-	-	544.31
43	प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम	शेर-ए-कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जम्मू/ जेएंडके स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी	-	-	-	-	-
44	पुलिस द्वारा राज्य पुलिस बलों का आधुनिकीकरण	पुलिस आवास निगम जम्मू और कश्मीर	-	-	-	-	270.00
45	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) राष्ट्रीय शहरी	राज्य शहरी विकास एजेंसी जम्मू और कश्मीर	-	-	-	-	607.94
46	बांस पर राष्ट्रीय मिशन	बांस विकास एजेंसी जम्मू और कश्मीर	-	-	-	-	108.25
47	मवेशी और भैंस प्रजनन के लिए राष्ट्रीय परियोजना	जम्मू और कश्मीर श्रीनगर	-	-	-	-	500.00
48	एससी एवं ओबीसी के लिए लड़के और लड़कियों के लिए हॉस्टल के निर्माण के लिए अनुदान	विश्वविद्यालय जम्मू	-	-	-	135.00	100.00
49	स्वास्थ्य अनुसंधान को बढ़ावा देने के बुनियादी ढांचे का विकास	गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, जम्मू	-	-	216.00	252.00	-
50	ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स रिसर्च	यूनानी दवा के क्षेत्रीय संस्थान श्रीनगर	-	-	-	148.80	-
51	इलेक्ट्रॉनिक शासन	जम्मू और कश्मीर सरकार की एजेंसियां/ कश्मीर विश्वविद्यालय	-	-	-	344.92	-

क्र. सं.	भारत सरकार योजना का नाम	राज्य में कार्यान्वयन एजेंसियां	भारत सरकार विज्ञप्ति				
			2017-18	2016-17	2015-16	2014-15	2013-14
52	अल्पसंख्यकों के लिए मुफ्त कोचिंग और संबद्ध योजनाएं	मै. राष्ट्रीय तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान (एनआईटीटी) - [एनआईआईटीजेके]/ मानव कल्याण संगठन/हिलाल संस्थान/नागरिक शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान सोपोर/एसेंट ग्रुप	105.64	-	-	134.51	-
53	मुफ्त कोचिंग एससी और ओबीसी छात्रों और विकलांग छात्रों के लिए	बांदीपोरा कॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी	106.27	-	-	-	-
54	ई-कोर्ट चरण- II	रजिस्ट्रार जनरल, जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय	17,679.54	-	-	-	-
55	मेगा क्लस्टर टैक्सटाईल्स	जम्मू और कश्मीर राज्य स्केल औद्योगिक विकास निगम	-	-	128.90	1,010.00	-
56	जनशक्ति विकास (आईटी में कौशल विकास सहित) डीआईटी	जम्मू और कश्मीर ई-गवर्नेंस एजेंसियां	-	-	-	136.84	-
57	बेसिक रिसर्च के लिए मेगा सुविधाएं	जम्मू विश्वविद्यालय	-	-	158.00	140.36	-
58	नैनो विज्ञान और नैनो प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय मिशन	एनआईटी श्रीनगर	-	-	-	132.12	-
59	युवा और किशोरों के विकास हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम	जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग और विंटर स्पोर्ट्स	85.95	-	164.16	200.19	-
60	जैव प्रौद्योगिकी के अनुसंधान और विकास विभाग	जेके विश्वविद्यालय	-	-	-	1,159.13	-
61	इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट एफपीआई के लिए योजना	मीर एग्रो इंडस्ट्रीज/ कचरू इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन	-	-	-	480.33	-
62	स्कीम फॉर डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स	बांदीपोरा कॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्पोजिट रीजनल सेंटर, श्रीनगर / कश्मीर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड सोलर टेक्नोलॉजी	208.08	733.89	691.02	249.47	-

क्र. सं.	भारत सरकार योजना का नाम	राज्य में कार्यान्वयन एजेंसियां	भारत सरकार विज्ञप्ति				
			2017-18	2016-17	2015-16	2014-15	2013-14
63	सामाजिक आर्थिक विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम	कश्मीर पर्यावरण और सामाजिक संगठन	-	-	349.81	116.59	-
64	सीस्मोलॉजिकल रिसर्च	जम्मू विश्वविद्यालय	-	-	-	224.98	-
65	राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम	विश्वविद्यालय	-	-	-	112.84	-
66	एलायंस और आर एंड डी मिशन	भारतीय समन्वित चिकित्सा संस्थान, श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान श्रीनगर, कश्मीर विश्वविद्यालय, एसकेयूएएसटी जम्मू/ कश्मीर सेंट्रल यूनी यूनवर्सिटी	-	436.76	428.80	-	-
67	बायोटैक्नॉलाजी रिसर्च और डेवलेपमेंट	एसकेयूएएसटी जम्मू/कश्मीर, एसकेआईएमएस। इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साईंस एंड टेक्नोलॉजी	1,147.65	270.00	734.54	-	-
68	दिशा प्रोग्राम फॉर वुमन एन साईंस	भारतीय अंतरागमिक चिकित्सा संस्थान, श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय, एसकेयूएस्ट जम्मू/कश्मीर, कश्मीर विश्वविद्यालय	79.52	108.74	114.14	-	-
69	मानव संसाधन विकास जैव प्रौद्योगिकी	एसकेयूएसटी जम्मू/ कश्मीर विश्वविद्यालय, कश्मीर, डिग्री कॉलेज उधमपुर, कॉर्डीनेटर स्टार कॉलेज कार्यक्रम, एफवीएससी और पशुपालन सुहामा, महिलाओं के लिए सरकारी कॉलेज, गांधी नगर, जम्मू.	-	-	192.86	-	-
70	स्वास्थ्य क्षेत्र आपदा तैयारी और ईएमआर सहित प्रबंधन	गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, जम्मू	140.00	-	-		

क्र. सं.	भारत सरकार योजना का नाम	राज्य में कार्यान्वयन एजेंसियां	भारत सरकार विज्ञप्ति				
			2017-18	2016-17	2015-16	2014-15	2013-14
71	राष्ट्रीय डायरी विकास योजना	जम्मू और कश्मीर राज्य कार्यान्वयन एजेंसी	100.00	-	150.00	-	-
72	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन	जम्मू और कश्मीर ग्रामीण आजीविका सोसायटी (जेकेआरएलएस)	659.74	4,675.75	194.46	-	-
73	वन स्टॉप सेंटर	उप अधीक्षक/ओएससी, जिला कार्यक्रम अधिकारी	87.52	-	-	-	-
74	पशमीना ऊन विकास कार्यक्रम	लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद, लेह/कारगिल	-	162.00	1,099.25	-	-
75	अनुसंधान शिक्षा प्रशिक्षण और आउटरीच	कश्मीर विश्वविद्यालय, कश्मीर पर्यावरण और सामाजिक संगठन.	50.50	-	133.78	-	-
76	कला और संस्कृति और शताब्दी समारोह की योजना	सोनम स्टोबगिस, कल्चरल एंड वेलफेयर सोसायटी स्तकना गोंपा, शाह-ए-जहान अहमद भगत, कल्चरल एंड वेलफेयर सोसायटी, तुकला गोंपा, कश्मीर म्यूजिक सोसायटी, नेशनल भाण्ड थियेटर, संगम थियेटर ग्रुप, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बौद्ध स्टडीज, लालोक कुनफान थुंडल तसोगसपा, कर्मा दुप्युड च्योलिंग सांस्कृतिक एवं कल्याण संघ, सेवा बलिदान बंधु धर्म केंद्र आदि।	-	-	966.36	-	-

क्र. सं.	भारत सरकार योजना का नाम	राज्य में कार्यान्वयन एजेंसियां	भारत सरकार विज्ञप्ति				
			2017-18	2016-17	2015-16	2014-15	2013-14
77	सीखो और कमाओ-कौशल विकास पहल	मै. नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर टेक्निकल ट्रेनिंग्स (एनआईटीटी)-[एनआईआईटीजेके]/सोसायटी फॉर डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग/ टेन्ड्रिल इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी/सॉफ्टेक इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी/ मानव कल्याण संगठन/एवरग्रीन इंस्टीटयूट ऑफ कंप्यूटर एंड टेक्नीकल ऐजुकेशन	1,324.22	109.76	893.02	-	-
78	पांच मैगा क्लस्अर की स्थापना	जम्मू-कश्मीर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डेवलेपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (जम्मू-कश्मीर एसआईसीओपी)	-	-	310.00	-	-
79	प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम	एसकेयूएएसटी कश्मीर, एनआईआईटी श्रीनगर	--	-	139.04	-	-
80	संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन कोष योजना (एटीयूएफएस)	जम्मू और कश्मीर बैंक लिमिटेड	357.12	847.33	-	-	-
81	चिनाब घाटी पावर को जेएंडके पीएमडीपी ग्रांट के अंतर्गत पाकुल डल एचईपी के लिए केंद्रीय सहायता	चेनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स (पी) लिमिटेड.	20,000.00	20,000.00	-	-	-
82	खादी गांव ओर कॉइर उद्योग का विकास	जम्मू-कश्मीर खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड.		523.49	-	-	-
83	पिछड़े और दूरस्थ क्षेत्रों का औद्योगिक विकास	जम्मू और कश्मीर विकास वित्त निगम लिमिटेड	-	1,040.07	-	-	-
84	औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन योजना (आईआईयूएस)	राज्य औद्योगिक विकास कार्पोरेशन (सिडको), जम्मू-कश्मीर	820.50	506.70	-	-	-
85	बुनियादी ढांचा विकास और क्षमता निर्माण	जम्मू और कश्मीर राज्य औद्योगिक विकास निगम (सिडको)	491.12	110.62	-	-	-

क्र. सं.	भारत सरकार योजना का नाम	राज्य में कार्यान्वयन एजेंसियां	भारत सरकार विज्ञप्ति				
			2017-18	2016-17	2015-16	2014-15	2013-14
86	नई पद्धति, प्रौद्योगिकी विकास और तैनाती	शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जम्मू-कश्मीर [एसकेयूएसटी-जम्मू और कश्मीर], कश्मीर विश्वविद्यालय, जम्मू विश्वविद्यालय, श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय प्रौद्योगिकी व्यापार इनक्यूबेशन सेंटर	361.89	-	-	-	-
87	कला संस्कृति विकास योजना	जम्मू और कश्मीर में विभिन्न सांस्कृतिक और कल्याण समितियां	434.61	271.38	-	-	-
88	खेल के विकास के लिए खेलो भारत राष्ट्रीय कार्यक्रम	इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी (आईयूएसटी), अवंतीपोरा, पुलवामा, कश्मीर और निदेशक युवा सेवाएं और खेल जम्मू कश्मीर	531.34	786.87	-	-	-
89	भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम	जम्मू-कश्मीर भूमि अभिलेख प्रबंधन एजेंसी (जेकेएलआरएमए)	477.00	-	-	-	-
90	कानूनी मेट्रोलॉजी और गुणवत्ता आश्वासन भार और मापन	जम्मू और कश्मीर हाउसिंग बोर्ड जम्मू/श्रीनगर	-	650.00	-	-	-
91	ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए प्रबंधन सहायता और जिला योजना प्रक्रिया के सुदृढ़ीकरण	प्रबंधन और लोक प्रशासन संस्थान (आईएमपीए)/ क्षेत्रीय विस्तार प्रशिक्षण केंद्र बडगाम।	100.40	750.45	-	-	-
92	नई मंज़िल-एकीकृत शिक्षा और आजीविका पहल	कॉमटेक प्रौद्योगिकी संस्थान/राष्ट्रीय शिक्षा सोसायटी और समाज कल्याण संगठन/विकास और प्रशिक्षण के लिए सेसाईटी/तकनीकी प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय संस्थान	479.85	493.25	-	-	-

क्र. सं.	भारत सरकार योजना का नाम	राज्य में कार्यान्वयन एजेंसियां	भारत सरकार विज्ञप्ति				
			2017-18	2016-17	2015-16	2014-15	2013-14
93	राष्ट्रीय एड्स और एसटीडी नियंत्रण कार्यक्रम	जम्मू कश्मीर राज्य एड्स रोकथाम और नियंत्रण सोसायटी-[जेकेएसएपीसीएस]	777.04	803.06	-	-	-
94	राष्ट्रीय शिक्षा अभियान-साक्षर भारत (सीएस)	जन शिक्षा संस्थान जम्मू/टंगडार/राज्य संसाधन केंद्र श्रीनगर.	-	195.60	-	-	-
95	राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम	जम्मू-कश्मीर राज्य हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, हरिओम पशमीना हथकरघा औद्योगिक सहकारी समिति, जन कल्याण हथकरघा बुनाई औद्योगिक सहकारी समिति लिमिटेड, एस्क्वायर रैफल्स पशमीना हैंडलूम डब्लयूआईसीएस लिमिटेड, मैसर्स बदाम पशमीना और राफेल हैंडलूम डब्ल्यूआईसीएस लिमिटेड, मैसर्स झेलम वैली डेस्टिट्यूट वीवर्स इंडस्ट्रियल कॉपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, मैसर्स शोकीन पशमीना राफेल और कॉटन हैंडलम डब्ल्यूआईसीएस लि.	295.90	181.25	-	-	-
96	राष्ट्रीय न्यायपूर्ण वितरण और कानूनी सुधार मिशन	रजिस्ट्रार जनरल उच्च न्यायालय/संगठित अनुसंधान और विकास के लिए कश्मीर संस्था	-	531.31	-	-	-
97	राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन	इंडो कश्मीर/कचरू एकीकृत कोल्ड चेन/ केसर मसाले और खाना/वाज़ान खाना, सुरक्षित और ताजा खाना/शफात तेल मिल्स और मसाले/ मीर एग्रो इंडस्ट्रीज आदि	20.29	1,325.22	-	-	-
98	तीर्थयात्रा पुन: आरंभ करने और आध्यात्मिक संवर्धन ड्राइव (प्रसाद)	जम्मू कश्मीर राज्य केबल कार निगम लिमिटेड	1,152.11	840.42	-	-	-

क्र. सं.	भारत सरकार योजना का नाम	राज्य में कार्यान्वयन एजेंसियां	भारत सरकार विज्ञप्ति				
			2017-18	2016-17	2015-16	2014-15	2013-14
99	स्माल हाइड्रो पावर ग्रिड इंटरएक्टिव	अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी कारगिल/जम्मु और कश्मीर राज्य विद्युत विकास कार्पोरेशन लिमिटेड	1,433.35	-	-	-	-
100	नए आईआईएम की स्थापना	भारतीय प्रबंधन संस्थान जम्मू	1,645.00	-	-	-	-
101	पारंपरिक उद्योगों के संपोषण के लिए निधि योजना (एसएफयूआरटी आई)	जम्मू-कश्मीर खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड	430.50	-	-	-	-
102	विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थागत और मानव क्षमता निर्माण	कश्मीर विश्वविद्यालय/ श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय/भारतीय एकीकृत चिकित्सा संस्थान/शेर ए कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जेएंडके	1,517.28	-	-	-	-
103	अनुसंधान प्रशिक्षण और अध्ययन और अन्य सड़क सुरक्षा योजनाएं	परिवहन आयुक्त, जम्मू-कश्मीर राज्य सड़क परिवहन निगम	349.25	-	-	-	-
104	अनुसंधान और विकास	शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जम्मू और कश्मीर, कश्मीर विश्वविद्यालय, जम्मू, विश्वविद्यालय, पारिस्थितिकी पर्यावरण और रिमोट सेंसिंग, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान विभाग, श्रीनगर	119.42 -	-	-	-	-
105	स्टेट स्पाइनल इंजरी सेंटरों की स्थापना	पीएमएनआरएफ/बाढ़ राहत जम्मू और कश्मीर प्रधान/सीएओ जीएमसी श्रीनगर/ सरकारी मेडिकल कॉलेज जम्मू	-	317.00	-	-	-
106	विशिष्ट विषयों के आसपास पर्यटक सर्किट का एकीकृत विकास (स्वदेश दर्शन)	जम्मू-कश्मीर पर्यटन विकास निगम/जम्मू और कश्मीर राज्य केबल कार निगम.	11,550.08	11,862.79	-	-	-

क्र. सं.	भारत सरकार योजना का नाम	राज्य में कार्यान्वयन एजेंसियां	भारत सरकार विज्ञप्ति				
			2017-18	2016-17	2015-16	2014-15	2013-14
107	राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम	शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जम्मू/ जम्मू और कश्मीर राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद/एसकेआई एमएस/श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय जम्मू	-	156.78	-	-	-
108	विकास के लिए पारंपरिक कला/क्राफ्ट्स में कौशल और प्रशिक्षण का उन्नयन (यूएसटीटीएडी)	मानव कल्याण संगठन/राष्ट्रीय तकनीकी और प्रशिक्षण संस्थान, बांदीपुरा कॉलेज ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी	82.20	167.00	-	-	-
109	प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना	जम्मू और कश्मीर कौशल विकास पहल-मॉड्यूलर रोजगारी कौशल सोसायटी.	-	1,053.88	-	-	-
110	प्रधान मंत्री वंदना योजना	समाज कल्याण विभाग, जम्मू और कश्मीर/जम्मू और कश्मीर सरकार.	2,900.45	-	-	-	-
111	राष्ट्रीय गोकुल मिशन	जम्मू और कश्मीर राज्य कार्यान्वयन एजेंसी	196.75	-	-	-	
112	बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ	उप आयुक्त बीबीबी सांबा, पुलवामा, जिला विकास आयुक्त शोपियां, जिला मजिस्ट्रेट जम्मू, उधमपुर, राजौरी, अनंतनाग आदि।	262.91	-	-	-	-
113	सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत देय चीनी सब्सिडी	केंद्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान	1,681.64	-	-	-	-
114	कृषि मशीनीकरण का उप-अभियान	शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जेएंडके और जम्मू-कश्मीर राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड	521.20	-	-		
115	नए आईआईटी की स्थापना	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जम्मू	13,928.00				

क्र. सं.	भारत सरकार योजना का नाम	राज्य में कार्यान्वयन एजेंसियां	भारत सरकार विज्ञप्ति				
			2017-18	2016-17	2015-16	2014-15	2013-14
116	स्थापना व्यय-आयुष	जम्मू विश्वविद्यालय, एसकेयूएसटी कश्मीर, भद्रवाह विकास प्राधिकरण, सोवारीगपा के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान	136.65	-	-	-	-
117	परिवार कल्याण योजनाएं	कश्मीर विश्वविद्यालय	84.92	-	-	-	-
118	मतदाता शिक्षा	मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जम्मू और कश्मीर	328.75	-	-	-	-
119	रोड विंग्स के तहत निर्माण कार्य	विभिन्न व्यक्तियों और निजी निर्माण कं	2,681.19	-	-	-	-
120	विंड पावर-ऑफ ग्रिड	लद्दाख अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी	85.72	-	-	-	-
121	राज्यों से ई एंड आई को सीआरएफ से अनुदान	एमजी कॉन्ट्रैक्टर्स प्रा. लिमि.	763.66	-	-	-	-
122	अन्य योजनाएँ	अन्य योजनाएं	875.80	2,859.16	1,442.98	1,681.16	89.38
	कुल योग		**1,10,491.13**	**62,798.59**	**29,799.93**	**29,366.12**	**3,19,992.87**

स्रोत: वित्त लेखे

परिशिष्ट-1.9

(संदर्भ: पैराग्राफ: 1.3.6)

14वें वित्त आयोग के सौंपे जाने के अंतर्गत अनुदान अनुमानों/निर्गम की स्थिति

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	हस्तांतरण	14वें वित्त आयोग की सिफारिश (2015-20)	अनुमान (विभाग-वार)			वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान	प्रस्तुत किये गये यूसी	लंबित यूसी	निर्गम हेतु लंबित अनुदान
			2015-16	2016-17	2017-18*	(2015-18)			
1	शहरी स्थानीय निकाय (आवास विभाग)	1,044.51	125.30	173.50	200.46	शून्य	शून्य	शून्य	499.26
	सामान्य मूल अनुदान	261.13	---	51.21	57.95	शून्य	शून्य	शून्य	109.16
	सामान्य निष्पादन अनुदान								
2	ग्रामीण स्थानीय निकाय (आरडीडी)	3,117.36	373.96	517.81	598.29	367.72	367.72	शून्य	1,122.34
	सामान्य मूल अनुदान	346.37	---	67.92	76.86	शून्य	शून्य	शून्य	144.78
	सामान्य निष्पादन अनुदान								
3	राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) केंद्रीय शेयर	1,268.00	229.00	241.00	253.00	470.20	18.66	451.54	252.80
	राज्य शेयर	141.00	25.00	27.00	28.00	52.00	शून्य	शून्य	28.00
कुल		**6,178.37**	**753.26**	**1,078.44**	**1,214.56**	**889.92**	**386.38**	**451.54**	**2,156.34**

* भारत सरकार, राज्य सरकार द्वारा मार्च 2017 तक ₹876.42 करोड़ जारी किया गया था और 2016-17 की दूसरी किस्त के रूप में राज्य सरकार द्वारा 2017 के दौरान ₹13.50 करोड़ रुपये भी जारी किए गए थे।

परिशिष्ट-2.1

(संदर्भ: पैराग्राफ: 2.3.1)

नियमितीकरण हेतु वित्त विभाग के पास लंबित वर्ष 1980-81 से 2016-17 के लिए अतिरिक्त व्यय का वर्ष-वार विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	*अनुदान/ विनियोजन की संख्या*	*अनुदान/विनियोजन सं.*	*अतिरिक्त*	*लोक लेखा समिति द्वारा की गई चर्चा का स्तर*
1980-81	16	1,5,6,7,8,9,12,13,14,16,18, 19,20,21,22,23	227.90	लोक लेखा समिति द्वारा चर्चा नहीं की गई।
1981-82	13	1,3,5,6,8,13,14,16,18,19, 20,21,23	41.99	
1982-83	10	6,8,9,12,14,18,19,21,22,23	119.74	
1983-84	12	1,5,6,7,8,14,18,19,20,21, 22,23	176.75	
1984-85	10	1,6,8,10,14,16,18,19,21,23	65.42	
1985-86	10	1,4,6,10,17,18,19,22,23,26	19.64	
1986-87	15	1,2,4,6,7,8,10,13,18,19,20,22,23,25,26	104.22	
1987-88	17	1,2,3,5,6,8,10,12,13,18,19,21,22,23,24,26,27	177.32	
1988-89	14	1,2,8,9,10,12,13,15,17,18, 22,23,26,27	438.42	
1989-90	09	1,7,8,11,12,20,21,23,24	205.23	
1990-91	11	1,2,5,8,12,17,19,21,23,25,26	427.72	
1991-92	13	1,2,5,7,8,11,12,14,21,22, 23,26,27	1,152.23	
1992-93	14	1,4,5,8,10,11,12,14,16,20, 21,23,24,26	1,029.71	
1993-94	17	2,3,5,8,10,12,13,14,17,18, 20,21,22,23,24,26,27	1,730.03	
1994-95	14	5,6,8,9,10,12,13,14,20,21, 23,24,26,27	2,057.49	
1995-96	19	2,5,6,8,9,10,11,12,13,16,17,18,20,21,23,24,25,26,27	2,936.89	
1996-97	18	2,4,5,6,8,10,11,12,13,14, 16,18,20,21,23,24,26,27	3,482.20	
1997-98	16	1,2,4,6,8,9,12,13,16,18,21,22,23,24,26,27	4,189.21	
1998-99	06	4,5,6,8,23,27	4,185.25	
1999-2000	12	2,3,6,8,9,12,17,18,20,23,24,26	5,851.08	
2000-01	11	1,6,8,9,12,16,18,23,25, 26, 27	6,310.25	
2001-02	15	3,5,6,8,11,17,18,20,21,23,25,26,27,28,29	6,393.41	
2002-03	15	3,5,6,7,8,12,14,16,17,18,21,23,25,26,28	505.61	
2003-04	18	3,5,7,8,12,13,14,15,16,17,18,20,21,23,24,25,26,28	9,770.53	
2004-05	15	3,6,8,9,12,14,15,16,18,20,25,26,27,28,29	2,108.42	

2005-06	16	3,5,8, 10,12,15, 16,17,18, 20,21,23,25, 26,27,28	12,954.06	
2006-07	14	8,12,14,15,16,17,18,20,21,23,25,26,27,28	2,150.03	
2007-08	14	6,8,11,12,14,15,16,20,24,25,26,27,28,29	2,277.91	
2008-09	15	5,6,8,11,12,15,16,19,20,22,23,24,25,26,27	3,277.38	
2009-10	14	1,6,8,11,15,16,18,20,23,24,25,26,27,29	4,062.58	
2010-11	14	5,6,8,9,16,18,19,22,23,25,26,27,28,29	6,130.76	
2011-12	14	1,6,8,11,12,15,16,18,19,20,23,25,26,27	5,638.79	
2012-13	12	1,5,8,11,13,16,18,20,23,25,26,27	4,741.57	
2013-14	13	4,6,7,8,14,15,16,18,20,23,24,25,28	4,469.79	
2014-15	12	2,6,7,8,11,16,18,19,21,23,24,25	1,099.28	
2015-16	11	4,6,7,8,15,16,17,18,23,26,28	4,258.62	
2016-17	12	3,4,5,8,11,15,16,19,23,26,28,29	2,896.86	
कुल			**1,07,664.29**	

परिशिष्ट-2.2

(संदर्भ: पैराग्राफ: 2.2.1 और 2.3.1)

विभिन्न अनुदानों/विनियोजनों का विवरण जहाँ अतिरिक्त व्यय किया गया है

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग संख्या	कुल अनुदान / विनियोजन	व्यय	अतिरिक्त (प्रतिशत)
I- राजस्व (दत्तमत)					
1	3	योजना और विकास विभाग	75.61	444.34	368.73 (488)
2	4	सूचना विभाग	2.13	2.32	0.19 (9)
3	16	लोक निर्माण विभाग	757.54	1,855.31	1,097.77 (145)
4	28	ग्रामीण विकास विभाग	452.54	508.24	55.70 (12)
5	29	परिवहन विभाग	54.35	71.25	16.90 (31)
कुल (I-राजस्व दत्तमत)			**1,342.17**	**2,881.46**	**1,539.29**
II- पूंजी (दत्तमत)					
6	05	लद्दाख कार्य विभाग	201.54	226.33	24.79 (12)
7	23	जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	439.49	593.11	153.62 (35)
8	24	आतिथ्य और प्रोटोकॉल एस्टेट पार्क और उद्यान विभाग	30.95	58.12	27.17 (88)
कुल (II- पूंजी दत्तमत)			**671.98**	**877.56**	**205.58**
III- प्रभारित पूंजी					
9	08	वित्त विभाग	17,837.95	22,490.14	4,652.19 (26)
कुल (III- प्रभारित पूंजी)			**17,837.95**	**22,490.14**	**4,652.19**
कुल योग (I+II+III)			**19,852.10**	**26,249.16**	**6,397.06**

स्रोत: विनियोजन लेखा

परिशिष्ट-2.3

(संदर्भ: पैराग्राफ: 2.2.1 एवं 2.3.2)

विभिन्न अनुदानों/विनियोजनों का विवरण जहाँ कुल प्रावधान में से ₹ एक करोड़ से अधिक या20 प्रतिशत से अधिक बचत थी।

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान संख्या	अनुदान/ विनियोजन का नाम	कुल अनुदान/ विनियोजन	बचत	प्रतिशत
I-राजस्व (दत्तमत)					
1	01	सामान्य प्रशासनिक विभाग	327.52	46.53	14
2	02	गृह-विभाग	5,413.40	764.03	14
3	04	सूचना विभाग	65.20	19.22	29
4	05	लद्दाख कार्यों का विभाग	637.62	41.93	7
5	06	बिजली विकास विभाग	10,269.84	5,207.93	51
6	07	शिक्षा विभाग	6,585.57	445.68	7
7	08	वित्त विभाग	6,316.39	608.94	10
8	09	संसदीय कार्य विभाग	57.48	5.96	10
9	10	विधि विभाग	371.23	154.33	42
10	11	उद्योग और वाणिज्य विभाग	309.65	68.16	22
11	12	कृषि विभाग	1,108.83	166.54	15
12	13	पशुपालन विभाग	467.35	68.65	15
13	14	राजस्व विभाग	1,267.24	470.27	37
14	15	खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग	168.20	1.39	1
15	17	स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग	2,715.73	148.61	5
16	18	समाज कल्याण विभाग	1,521.81	324.05	21
17	19	आवास और शहरी विकास विभाग	705.98	3.04	-
18	20	पर्यटन विभाग	171.54	6.96	4
19	21	वन विभाग	716.89	116.66	16
20	22	सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग	600.10	105.09	18
21	23	लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	1,195.88	43.87	4
22	24	आतिथ्य और प्रोटोकॉल एस्टेट पार्क और उद्यान विभाग	234.19	15.79	07
23	25	स्टेशनरी और मुद्रण विभाग	80.48	14.45	18
24	27	उच्च शिक्षा विभाग	932.26	134.46	14
कुल - I			**42,240.38**	**8,982.54**	

क्र.सं.	अनुदान संख्या	अनुदान/ विनियोजन का नाम	कुल अनुदान/ विनियोजन	बचत	प्रतिशत
(राजस्व प्रभारित)					
25	01	सामान्य प्रशासन विभाग	16.26	1.84	11
26	08	वित्त विभाग	5,156.78	493.91	10
27	09	संसदीय कार्य विभाग	1.66	1.22	73
28	10	विधि विभाग	37.10	4.07	11
कुल - II			**5,211.80**	**501.04**	
पूंजी (दत्तमत)					
29	01	सामान्य प्रशासन विभाग	576.92	549.12	95
30	02	गृह विभाग	929.45	510.86	55
31	03	योजना और विकास विभाग	2,370.58	1,872.39	79
32	06	बिजली विकास विभाग	6,251.49	5,591.27	89
33	07	शिक्षा विभाग	1,258.44	639.39	51
34	08	वित्त विभाग	3,348.50	3,025.14	90
35	10	विधि विभाग	87.60	81.30	93
36	11	उद्योग और वाणिज्य विभाग	249.38	29.23	12
37	12	कृषि विभाग	907.28	333.92	37
38	13	पशु भेड़पालन विभाग	65.86	41.69	63
39	14	राजस्व विभाग	1,117.26	858.92	77
40	15	खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले	372.28	62.14	17
41	16	लोक निर्माण विभाग	2,006.00	194.90	10
42	17	स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा	793.01	282.43	36
43	18	समाज कल्याण विभाग	460.78	333.44	72
44	19	आवास और शहरी विकास विभाग	974.07	519.54	53
45	20	पर्यटन विभाग	639.64	520.32	81
46	21	वन विभाग	121.49	73.64	61
47	22	सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग	1,348.94	987.92	73
48	25	स्टेशनरी और मुद्रण विभाग	120.14	100.74	84
49	26	मत्स्य विभाग	16.50	1.98	12
50	27	उच्च शिक्षा विभाग	425.92	173.39	41
51	28	ग्रामीण विकास विभाग	2,391.21	541.36	23
52	29	परिवहन विभाग	41.75	24.85	60
कुल -III			**26,874.49**	**17,349.88**	
कुल I+II+III			**74,326.67**	**26,833.46**	

स्रोतः विनियोजन लेखे

परिशिष्ट-2.4

(संदर्भ: पैराग्राफ: 2.3.4)

अनावश्यक पूरक अनुदान/विनियोजन के मामले

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान की संख्या और नाम	वास्तविक प्रावधान	पूरक प्रावधान	वास्तविक व्यय	वास्तविक प्रावधान से की गई बचत
I-राजस्व (दत्तमत)					
1	09- संसदीय कार्य विभाग	53.41	4.08	51.53	1.88
2	26- मत्स्य पालन विभाग	68.79	0.25	68.59	0.20
कुल		**122.20**	**4.33**	**120.12**	**2.08**
II - राजस्व (प्रभारित)					
3	01-सामान्य प्रशासन विभाग	16.16	0.10	14.41	1.75
4	09- संसदीय कार्य विभाग	1.55	0.11	0.43	1.12
5	10- विधि विभाग	36.90	0.20	33.04	3.86
कुल		**54.61**	**0.41**	**47.88**	**6.73**
कुल-I		**176.81**	**4.74**	**168.00**	**8.81**
II-पूंजी (दत्तमत)					
6	26- मत्स्य पालन विभाग	16.25	0.25	14.52	1.73
कुल -II		**16.25**	**0.25**	**14.52**	**1.73**
कुल योग (I+II)		**193.06**	**4.99**	**182.52**	**10.54**

स्रोत: विनियोजन लेखा

परिशिष्ट-2.5

(संदर्भ: पैराग्राफ: 2.3.4)

विभिन्न अनुदानों/विनियोजन का विवरण जहां ₹ एक करोड़ से अधिक का अनुपूरक प्रावधान अपर्याप्त था।

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान सं.	अनुदान / विनियोजन का नाम	वास्तविक	पूरक	कुल	व्यय	अतिरिक्त
पूंजी (प्रभारित)							
1	8	वित्त विभाग	16,595.13	1,242.82	17,837.95	22,490.14	4,652.19
कुल			**16,595.13**	**1,242.82**	**17,837.95**	**22,490.14**	**4,652.19**

स्रोत: विनियोजन लेखा

परिशिष्ट-2.6

(संदर्भ: पैराग्राफ: 2.3.5)

₹ एक करोड़ रुपये और उससे अधिक की वापसी न करने पर बचत का विवरण

(₹ करोड में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोजन की संख्या और नाम	बचत	वापसी	बचत जिसकी वापसी की जानी है
I-राजस्व (दत्तमत)					
1	01	सामान्य प्रशासनिक विभाग	46.53	शून्य	46.53
2	02	गृह विभाग	764.03	शून्य	764.03
3	04	सूचना विभाग	19.22	शून्य	19.22
4	05	लद्दाख मामलों का विभाग	41.93	शून्य	41.93
5	06	बिजली विकास विभाग	5,207.93	शून्य	5,207.93
6	07	शिक्षा विभाग	445.68	शून्य	445.68
7	08	वित्त विभाग	608.94	शून्य	608.94
8	09	संसदीय कार्य विभाग	5.96	शून्य	5.96
9	10	विधि विभाग	154.33	शून्य	154.33
10	11	उद्योग और वाणिज्य विभाग	68.16	शून्य	68.16
11	12	कृषि विभाग	166.54	शून्य	166.54
12	13	पशुपालन विभाग	68.65	शून्य	68.65
13	14	राजस्व विभाग	470.27	शून्य	470.27
14	15	खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग	1.40	शून्य	1.40
15	17	स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग	148.61	शून्य	148.61
16	18	समाज कल्याण विभाग	324.05	शून्य	324.05
17	19	आवास और शहरी विकास विभाग	3.04	शून्य	3.04
18	20	पर्यटन विभाग	6.96	शून्य	6.96
19	21	वन विभाग	116.66	शून्य	116.66
20	22	सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग	105.09	शून्य	105.09
21	23	लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	43.87	शून्य	43.87
22	24	आतिथ्य और प्रोटोकॉल एस्टेट पार्क और उद्यान विभाग	15.79	शून्य	15.79

क्र. सं.	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोजन की संख्या और नाम	बचत	वापसी	बचत जिसकी वापसी की जानी है
23	25	स्टेशनरी और मुद्रण विभाग	14.45	शून्य	14.45
24	27	उच्च शिक्षा विभाग	134.46	शून्य	134.46
कुल -I			**8,982.55**	शून्य	**8,982.55**
II- राजस्व (प्रभारित)					
25	01	सामान्य प्रशासन विभाग	1.84	शून्य	1.84
26	08	वित्त विभाग	493.91	शून्य	493.91
27	09	संसदीय कार्य विभाग	1.22	शून्य	1.22
28	10	विधि विभाग	4.06	शून्य	4.06
कुल -II			**501.03**	शून्य	**501.03**
III-पूंजी (दत्तमत)					
29	01	सामान्य प्रशासन विभाग	549.12	शून्य	549.12
30	02	गृह-विभाग	510.86	शून्य	510.86
31	03	योजना और विकास विभाग	1,872.39	शून्य	1,872.39
32	06	बिजली विकास विभाग	5,591.27	शून्य	5,591.27
33	07	शिक्षा विभाग	639.39	शून्य	639.39
34	08	वित्त विभाग	3,025.14	शून्य	3,025.14
35	10	विधि विभाग	81.30	शून्य	81.30
36	11	उद्योग और वाणिज्य विभाग	29.23	शून्य	29.23
37	12	कृषि विभाग	333.92	शून्य	333.92
38	13	पशु भेड़पालन विभाग	41.69	शून्य	41.69
39	14	राजस्व विभाग	858.92	शून्य	858.92
40	15	खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले	62.14	शून्य	62.14
41	16	लोक निर्माण विभाग	194.90	शून्य	194.90
42	17	स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग	282.43	शून्य	282.43
43	18	समाज कल्याण विभाग	333.44	शून्य	333.44
44	19	आवास और शहरी विकास विभाग	519.54	शून्य	519.54
45	20	पर्यटन विभाग	520.32	शून्य	520.32

क्र. सं.	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोजन की संख्या और नाम	बचत	वापसी	बचत जिसकी वापसी की जानी है
46	21	वन विभाग	73.64	शून्य	73.64
47	22	सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग	987.92	शून्य	987.92
48	25	स्टेशनरी और मुद्रण विभाग	100.74	शून्य	100.74
49	26	मत्स्य विभाग	1.98	शून्य	1.98
50	27	उच्च शिक्षा विभाग	173.39	शून्य	173.39
51	28	ग्रामीण विकास विभाग	541.36	शून्य	541.36
52	29	परिवहन विभाग	24.85	शून्य	24.85
कुल -III			**17,349.88**	शून्य	**17,349.88**
कुल योग -I+II+III			**26,833.46**	शून्य	**26,833.46**

स्रोत: विनियोजन लेखा

परिशिष्ट-2.7

(संदर्भ: पैराग्राफ: 2.3.7)

₹ एक करोड़ से अधिक के अप्रयुक्त प्रावधान का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान सं.	मुख्य शीर्ष	अनुदान का नाम	राशि
1	01	2070	अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	34.48
		4059	लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय	2.97
		4075	विविध सामान्य सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	30.00
		5425	अन्य वैज्ञानिक और पर्यावरणीय सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	15.00
		5452	पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय	53.05
2	02	4055	पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	115.00
3	03	3454	जनगणना, सर्वेक्षण और सांख्यिकी	3.11
		5475	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	1,622.68
4	06	2801	विधुत	1.03
		4801	विधुत प्रोजेक्ट्स पर कैपिटल आउटले	1,900.00
5	07	2202	सामान्य शिक्षा	18.00
		4202	शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजी परिव्यय	407.19
6	08	2047	अन्य राजकोषीय सेवाएँ	1.75
		2235	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	250.25
		5465	सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थान में निवेश	2,251.00
		6235	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के लिए ऋण	25.00
		6885	उद्योग और खनिजों के लिए अन्य श्रण	1,000.00
7	10	2014	न्याय का प्रशासन	4.39
		4059	लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय	36.80
8	11	4851	गांव और लघु उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय	72.50
		4852	लोहा और इस्पात उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय	2.57
		4853	गैर लौह-खनन और धातु कर्म पर पूंजीगत परिवयय	2.50

9	12	4401	फसल पैदावार पर पूंजी परिव्यय	495.95
		4705	कमांड एरिया डेवलपमेंट पर पूंजीगत परिव्यय	25.00
		4851	विलेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज पर पूंजीगत परिव्यय	9.04
10	13	4403	पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय	43.56
11	14	2235	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	5.60
		4059	लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय	1.50
		4235	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	5.00
12	15	4235	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	59.25
13	16	2216	आवास	5.00
		4059	लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय	131.87
		5054	सड़कों और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय	1,105.00
14	17	4210	चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	21.37
15	18	2055	पुलिस	2.26
		2235	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2.67
		4225	एससी, एसटी और ओबीसी के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	1.45
		4235	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	114.82
16	19	4217	शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	272.90
17	20	4202	शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	2.75
		5452	पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय	56.50
18	21	4402	मृदा और जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय	4.55
		4406	वानिकी और वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय	82.65
19	22	4701	मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	8.90
		4702	लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	225.00
		4711	बाढ़ नियंत्रण पर पूंजीगत परिव्यय	928.00
20	23	2215	जल आपूर्ति और स्वच्छता	1.30
21	24	2216	आवास	25.46

22	26	4405	मत्स्य पालन पर पूंजीगत परिव्यय	8.38
23	27	4202	शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	128.88
		4250	अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	10.27
24	28	4515	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय	386.86
कुल				**12,021.01**

स्रोत: विनियोजन लेखा

परिशिष्ट-2.8

(संदर्भ: पैराग्राफ: 2.8.1 और 2.8.2)

अनुदान संख्या 06 के अंतर्गत व्यय किए गए अधिक व्यय को दर्शाता विवरण

(₹ लाख में)

क्र. सं.	मुख्य/लघु/उप-शीर्ष	अनुदान	व्यय	अतिरिक्त
1	2801/05/001/0099/0933	1,137.86	1,267.70	129.84
2	2801/05/001/0099/1687	2,654.72	2,758.97	104.25
3	2801/05/001/0099/2455	519.86	861.13	341.27
4	2801/05/603/0099/1685	773.43	1,170.77	397.34
5	2801/06/001/0099/0911	61,253.31	61,477.25	223.94
6	2801/06/001/0099/0978	61,639.25	67,525.75	5,886.50
7	2801/06/001/0099/1676	1,501.01	7,202.39	5,701.38
8	2801/06/611/0099/0911	11,086.40	12,771.08	1,684.68
9	2801/06/619/0099/0978	1,947.50	2,178.39	230.89
10	2801/80/001/0099/1686	237.76	265.58	27.82
11	2801/80/005/0099/2170	396.40	493.55	97.15
12	2801/05/800/0099/0250	225.00	543.40	318.40
कुल		**1,43,372.50**	**1,58,515.96**	**15,143.46**

स्रोत: विनियोजन लेखा

अनुदान संख्या 08 के अंतर्गत व्यय किए गए अधिक व्यय को दर्शाता विवरण

(₹ लाख में)

क्र. सं. .	मुख्य/लघु/उप-शीर्ष	अनुदान	व्यय	अतिरिक्त
1	2030/01/001/0099/0344	1,786.50	1,961.97	175.47
2	2047/00/103/0099/0293	64.44	110.96	46.52
3	2049/01/101/0099/0191	1,89,159.00	1,95,176.59	6,017.59
4	2054/00/095/0099/0316	747.70	764.18	16.48
5	2054/00/095/0099/2430	285.01	312.29	27.28
6	2054/00/800/0099/0310	327.70	350.69	22.99
7	2054/00/800/0099/0312	386.68	581.21	194.53
8	2071/01/115/0099/2190	31,146.09	39,606.24	8,460.15
9	2071/0/117/0099/2327	30,862.94	31,107.67	244.73
10	2075/00/103/0099/0317	16.30	34.98	18.68

11	2235/60/102/0099/0313	24.00	93.73	69.73
12	62203/22/101/0099/0161	2,22,610.00	2,22,610.10	0.10
13	6003/00/103/0099/0167	16,025.00	16,151.15	126.15
14	6003/00/104/0099/0300	20.00	41.08	21.08
15	6003/00/105/0099/0186	38,654.00	39,118.76	464.76
16	6003/00/106/0099/2140	4,143.00	4,143.21	0.21
17	6003/00/110/0099/2420	14,55,727.80	16,22,783.00	1,67,055.20
कुल		**19,91,986.16**	**21,74,947.81**	**1,82,961.65**

स्रोत: विनियोजन लेखा

परिशिष्ट-2.9

(संदर्भ: पैराग्राफ: 2.8.1 और 2.8.2)

अनुदान संख्या 06 में वापस न की गई काफी बडी बचत के मामले दर्शाता विवरण

(₹ लाख में)

क्र. सं.	मुख्य/लघु/उप-शीर्ष	अनुदान	व्यय	अतिरिक्त
1	2801/01/101/0099/0933	8,20,000.00	3,03,559.18	5,16,440.82
2	2801/05/001/0099/1685	2,305.49	1,929.26	376.23
3	2801/05/602/0099/1685	900.71	818.79	81.92
4	2801/05/604/0099/1687	914.75	855.25	59.50
5	2801/05/605/0099/1687	855.49	776.01	79.48
6	2801/05/606/0099/1687	1,177.71	742.63	435.08
7	2801/05/607/0099/1685	1,370.19	1,002.16	368.03
8	2801/05/609/0099/0933	273.45	199.34	74.11
9	2801/05/610/0099/0933	356.75	120.75	236.00
10	2801/06/052/0099/0911	46.00	1.87	44.13
11	2801/06/612/0099/0911	3,438.29	3,101.35	336.94
12	2801/06/613/0099/0911	1,268.84	1,135.67	133.17
13	2801/06/614/0099/0911	2,788.74	2,631.47	157.27
14	2801/06/615/0099/0911	4,273.90	3,542.14	731.76
15	2801/06/616/0099/0911	1,077.55	778.85	298.70
16	2801/06/617/0099/0911	1,271.71	1,124.55	147.16
17	2801/06/618/0099/0978	12,800.21	7,573.01	5,227.20
18	2801/06/620/0099/0978	1,852.92	873.17	979.75
19	2801/06/621/0099/0978	2,574.96	1,143.94	1,431.02
20	2801/06/622/0099/0978	1,786.61	608.37	1,178.24
21	2801/06/623/0099/0978	2,573.25	1,530.68	1,042.57
22	2801/06/624/0099/0978	1,979.57	1,226.55	753.02
23	2801/06/625/0099/0978	1,674.37	1,281.32	393.05
24	2801/06/626/0099/0978	1,380.80	864.53	516.27
25	2801/06/627/0099/0978	4,818.92	3,449.86	1,369.06
26	2801/06/628/0099/0978	3,401.88	2,288.05	1,113.83
27	2801/06/629/0099/0978	2,578.29	1,727.41	850.88
28	2801/06/630/0099/0911	1,458.46	1,326.22	132.24
29	2801/06/633/0099/0911	1,131.82	942.60	189.22
30	2801/80/001/0099/1673	469.26	417.65	51.61
31	2801/80/004/0099/2169	653.91	542.12	111.79
32	2801/80/800/0099/2111	272.80	103.71	169.09
33	2801/01/800/0011/2021	126,042.00	13,349.46	112,692.54
34	2801/05/800/0011/0306	2,500.00	800.85	1,699.15
35	2801/05/800/0011/0478	174,382.31	51,048.75	123,333.56
कुल		**11,86,651.91**	**4,13,417.52**	**7,73,234.39**

अनुदान संख्या 08 में वापस न की गई काफी बडी बचत के मामले दर्शाता विवरण

(₹ लाख में)

क्र.सं.	मुख्य/लघु/उप-शीर्ष	कुल अनुदान	व्यय	बचत
1	2039/00/001/0099/0334	3,793.06	2,743.07	1,049.99
2	2040/00/001/0099/0334	9,233.05	5,683.66	3,549.39
3	2040/00/800/0099/1429	108.97	72.91	36.06
4	2045/00/104/0099/0968	361.05	183.97	177.08
5	2045/00/104/0099/0983	80.75	39.51	41.24
6	2049/03/104/0099/2187	1,83,224.00	1,41,506.21	41,717.79
7	2049/03/104/0099/0189	5,300.00	4,975.15	324.85
8	2049/05/104/0099/0185	11,000.00	2,793.20	8,206.80
9	2054/00/003/0099/0328	161.86	120.85	41.01
10	2054/00/003/0099/0329	376.88	315.32	61.56
11	2054/00/095/0099/0312	923.85	837.04	86.81
12	2054/00/095/0099/0326	251.21	208.85	42.36
13	2054/00/097/0099/0324	1,973.62	1,557.75	415.87
14	2054/00/097/0099/0335	1,630.80	1,389.66	241.14
15	2054/00/097/0099/2431	1,264.08	1,047.07	217.01
16	2054/00/097/0099/2432	1,432.00	1,153.54	278.46
17	2054/00/098/0099/0314	447.26	437.28	9.98
18	2054/00/800/0099/1190	4,210.25	3,395.50	814.75
19	2071/01/101/0099/2190	4,37,990.97	3,34,838.45	1,03,152.52
20	2235/02/001/0099/0244	922.92	746.53	176.39
21	2235/60/107/0099/0965	300.72	6.83	293.89
22	4059/80/800/0011/2341	5,750.30	2,635.72	3,114.58
23	6003/00/109/0099/0302	2,942.00	2,688.54	253.46
24	6004/02/101/0099/0848	11,616.00	2,692.17	8,923.83
कुल		**6,85,295.60**	**5,12,068.78**	**1,73,226.82**

स्रोत: विनियोजन लेखा

परिशिष्ट-2.10

(संदर्भ: पैराग्राफ: 2.8.1 और 2.8.2)

अनुदान संख्या 06 में बजट प्रावधान के बिना किए गए व्यय के मामले दर्शाता विवरण

(₹ लाख में)

क्र. सं.	मुख्य/लघु/उप-शीर्ष	कुल अनुदान	व्यय
1	4801/05/800/0011/1382	शून्य	67.77
2	4801/05/800/0011/1719	शून्य	211.95
	कुल		**279.72**

स्रोत: विनियोजन लेखा

अनुदान संख्या 08 में बजट प्रावधान के बिना किए गए व्यय के मामलें दर्शाता विवरण

(₹ लाख में)

क्र. सं.	मुख्य/लघु/उप-शीर्ष	कुल अनुदान	व्यय
1	2030/01/101/0099/1657	शून्य	1.87
2	2030/01/101/0099/1659	शून्य	1.65
3	2030/02/101/0099/0333	शून्य	2.79
4	2030/02/101/0099/1658	शून्य	529.97
5	2030/02/101/0099/1660	शून्य	3.67
6	2030/02/101/0099/1663	शून्य	8.81
7	2039/-/001/0099/0307	शून्य	36.58
8	2049/01/101/0099/3005	शून्य	79.17
9	2049/01/115/0099/9899	शून्य	1,838.03
10	2049/01/115/0099/9901	शून्य	399.18
11	2049/01/123/0099/0159	शून्य	40,668.35
12	2049/01/200/0099/0186	शून्य	11,530.54
13	2049/01/200/0099/0302	शून्य	1,898.57
14	2049/01/200/0099/2120	शून्य	295.96
15	2049/01/200/0099/2121	शून्य	13,095.74
16	2049/01/200/0099/2694	शून्य	28,412.21
17	2049/01/200/0099/3002	शून्य	23.76

18	2049/01/200/0099/3003	शून्य	8.20
19	2049/01/200/0099/3007	शून्य	1,556.34
20	2049/01/305/0099/3004	शून्य	551.30
21	2049/04/101/0099/1871	शून्य	2,796.19
22	2049/04/109/0099/1920	शून्य	6,009.70
23	2049/60/701/0099/0185	शून्य	12,672.71
24	2071/01/102/0099/2190	शून्य	35,847.58
25	2071/01/104/0099/2190	शून्य	77,534.65
26	2071/01/105/0099/2190	शून्य	21,003.39
27	2071/01/111/0099/2190	शून्य	699.24
28	2071/01/115/0099/0418	शून्य	194.47
29	4059/01/001/0099/0334	शून्य	1.00
30	5465/01/190/0011/0964	शून्य	28,200.00
31	6003/-/110/0099/9901	शून्य	2,97,810.45
32	6003/-/111/0099/0159	शून्य	32,056.70
33	6003/-/109/0099/0303	शून्य	16.00
34	6004/02/105/0099/1920	शून्य	8,903.27
कुल			**6,24,688.04**

स्रोत: विनियोजन लेखा

परिशिष्ट-2.11

(संदर्भ: पैराग्राफ: 2.8.1 और 2.8.2)

अप्रयुक्त अनुदान को दर्शाता विवरण

अनुदान संख्या 06

(₹ लाख में)

क्र. सं.	मुख्य/लघु/उप-शीर्ष	कुल अनुदान	व्यय
1	2801/05/052/0099/0933	3.00	शून्य
2	2801/05/052/0099/1685	28.00	शून्य
3	2801/05/052/0099/1687	10.00	शून्य
4	2801/06/052/0099/0978	56.50	शून्य
5	2801/80/052/0099/2169	8.00	शून्य
6	2801/80/052/0099/2170`	3.50	शून्य
7	4801/05/601/0011/1873	10,000.00	शून्य
8	4801/05/601/0031/1873	1,00,000.00	शून्य
9	4801/05/800/0011/2463	1,000.00	शून्य
10	4801/05/800/0011/2464	1,000.00	शून्य
11	4801/05/800/0031/2463	10,000.00	शून्य
12	4801/05/800/0031/2464	10,000.00	शून्य
13	4801/80/190/0099/1370	1,90,000.00	शून्य
कुल		**3,22,109.00**	शून्य

अप्रयुक्त अनुदान को दर्शाता विवरण

अनुदान संख्या 08

(₹ लाख में)

क्र. सं.	मुख्य /लघु /उप-शीर्ष	कुल अनुदान	व्यय
1	2047/-/103/0099/2437	174.69	शून्य
2	2049/01/101/0099/0163	4,46,61.00	शून्य
3	2049/01/101/0099/0184	2,000.00	शून्य

4	2049/04/101/0099/0723	8,776.00	शून्य
5	2049/04/104/0099/0171	42,512.00	शून्य
6	2049/60/701/0099/2120	634.00	शून्य
7	2049/60/701/0099/2140	28,412.20	शून्य
8	2050/-/800/0099/0418	70,150.00	शून्य
9	2235/02/105/0099/0323	25,025.00	शून्य
10	5465/01/190/0011/0318	2,25,100.00	शून्य
11	6003/-/109/0099/0159	32,057.00	शून्य
12	6235/02/190/0099/0668	2,500.00	शून्य
13	6885/01/190/0099/1211	1,00,000.00	शून्य
कुल		**5,82,001.89**	शून्य

स्रोत: विनियोजन लेखा

परिशिष्ट-3.1

(संदर्भ: पैराग्राफ: 3.2)

मार्च 2018 को समाप्त प्रमुख शीर्ष-वार बकाया विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक (डीसी) बिल

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मुख्य शीर्ष	नामावली	कश्मीर डिवीजन	जम्मू डिवीजन	कुल
1	2012	अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/ राज्यपाल/यूटी का प्रशासक	0.11	0.00	0.11
2	2013	मंत्रिपरिषद्	0.22	0.00	0.22
3	2014	न्याय प्रशासन	0.00	0.01	0.01
4	2015	चुनाव	4.92	2.87	7.79
5	2030	टिकटें और पंजीकरण	0.00	1.90	1.90
6	2040	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	0.01	4.51	4.52
7	2047	अन्य राजकोषीय सेवाएँ	0.15	0.00	0.15
8	2052	सचिवालय सामान्य सेवाएँ	0.08	0.00	0.08
9	2053	जिला प्रशासन	0.25	0.06	0.31
10	2055	पुलिस	6.23	120.40	126.63
11	2056	जेलें	0.42	0.00	0.42
12	2059	लोक निर्माण कार्य	0.04	0.26	0.30
13	2070	अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	0.86	1.50	2.36
14	2202	सामान्य शिक्षा	582.90	0.44	583.34
15	2203	तकनीकी शिक्षा	0.25	0.02	0.27
16	2204	खेल और युवा सेवाएं	2.47	0.00	2.47
17	2205	कला और संस्कृति	2.63	0.00	2.63
18	2210	चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	5.15	3.98	9.13
19	2211	परिवार कल्याण	0.00	0.02	0.02
20	2217	शहरी विकास	0.05	0.00	0.05
21	2225	एससी, एसटी और ओबी का कल्याण	0.25	0.00	0.25
22	2230	श्रम और रोजगार	0.60	0.12	0.72

क्र. सं.	मुख्य शीर्ष	नामावली	कश्मीर डिवीजन	जम्मू डिवीजन	कुल
23	2235	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	3.71	22.54	26.25
24	2245	प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत	2.27	209.28	211.55
25	2401	फसल पैदावार	0.66	0.00	0.66
26	2403	पशुपालन	0.03	0.32	0.35
27	2415	कृषि अनुसंधान और शिक्षा	0.02	0.00	0.02
28	2501	ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	1.75	21.43	23.18
29	2515	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	19.07	0.00	19.07
30	2801	विधुत	0.00	0.20	0.20
31	2851	ग्राम और लघु उद्योग	5.58	0.00	5.58
32	3451	सचिवालय - अर्थशास्त्र सेवाएँ	0.25	0.04	0.29
33	3452	पर्यटन	0.80	1.92	2.72
34	3454	जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी	0.25	0.08	0.33
35	3475	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ	0.00	1.12	1.12
36	4055	पुलिस पर पूंजी परिव्यय	21.01	0.00	21.01
37	4058	स्टेशनरी और प्रिंटिंग पर पूंजीगत परिव्यय	0.21	0.00	0.21
38	4059	लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय	8.10	6.30	14.40
39	4070	अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	0.25	0.00	0.25
40	4075	विविध सामान्य सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	8.48	0,00	8.48
41	4202	शिक्षा, खेल कला और संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	442.07	21.81	463.88

क्र. सं.	मुख्य शीर्ष	नामावली	कश्मीर डिवीजन	जम्मू डिवीजन	कुल
42	4210	मेडिकल और पब्लिक पर केपिटल आऊटले	0.86	151.09	151.95
43	4215	जल आपूर्ति और स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय	0.00	3.75	3.75
44	4217	शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	15.00	13.33	28.33
45	4220	सूचना और प्रचार पर पूंजीगत परिव्यय	0.00	4.56	4.56
46	4225	एस.सी, एस.टी. ओ.बी.सी कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	0.50	0.00	0.50
47	4235	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	10.47	17.16	27.63
48	4250	अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	88.24	0.00	88.24
49	4401	फसल पैदावार पर पूंजीगत परिव्यय	31.03	0.34	31.37
50	4402	मृदा और जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय	0.07	0.00	0.07
51	4403	पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय	0.75	0.91	1.66
52	4408	खाद्य भंडारण और वेयर हाउसिंग पर पूंजीगत परिव्यय	48.08	32.00	80.08
53	4415	कृषि अनुसंधान और शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय	8.25	91.41	99.66
54	4425	सहयोग पर पूंजीगत परिव्यय	10.80	0.00	10.80
55	4515	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय	252.66	0.00	252.66

क्र. सं.	मुख्य शीर्ष	नामावली	कश्मीर डिवीजन	जम्मू डिवीजन	कुल
56	4711	बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगयत परिव्यय	4.50	0.00	4.50
57	4851	ग्राम और लघु उदयोगो पर पूंजीगत परिव्यय	27.43	1.07	28.50
58	4852	लौह तथा इस्पात उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	48.86	0.00	48.86
59	4853	गैर-लौह खनन और धातुकर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	0.05	0.00	0.05
60	5054	सड़कों और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय	50.40	0.00	50.40
61	5055	सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय	8.07	0.00	8.07
62	5425	अन्य वैज्ञानिक पर्यावरण अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय	0.67	0.00	0.67
63	5452	पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय	54.22	6.76	60.98
64	5475	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	14.44	4.87	19.31
कुल			**1,797.45**	**748.38**	**2,545.83**

स्रोत: वीएलसी डेटा

परिशिष्ट-3.2

(संदर्भ: पैराग्राफ: 3.4)

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (डीपीसी) अधिनियम, 1971 की धारा 14 के अंतर्गत लेखापरीक्षा से संबंधित वार्षिक लेखों का विवरण दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	प्राधिकरण/निकाय का नाम	अवधि जिसके लिए लेखों की प्रतीक्षा की गई	प्रतीक्षित लेखों की संख्या
1	श्रीनगर नगर पालिका	1988-89 से 2016-17	30
2	कश्मीर विश्वविद्यालय	2001-02 से 2017-18	17
3	कश्मीर शहरी विकास एजेंसी, श्रीनगर	1999-2000 से 2017-18	19
4	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, श्रीनगर	2002-03 से 2017-18	16
5	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, अनंतनाग	2007-08 से 2017-18	11
6	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, पुलवामा	2002-03 से 2017-18	16
7	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, लेह	2008-09 से 2017-18	10
8	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, कारगिल	2008-09 से 2017-18	10
9	शेर-ए-कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र, श्रीनगर (एसकेआईसीसी)	1999-2000 से 2014-15, तथा 2017-18	17
10	श्रीनगर विकास प्राधिकरण, बेमिना	1999-2000 से 2017-18	19
11	जम्मू और कश्मीर राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड, श्रीनगर	2003-04 से 2017-18	15
12	इस्लामिया कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स, श्रीनगर	2001-02 से 2017-18	17
13	झीलों और जलमार्गों का विकास, प्राधिकरण, श्रीनगर	2005-06 से 2017-18	13
14	जम्मू विश्वविद्यालय	2008-09 से 2017-18	16
15	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, जम्मू	2008-09 से 2017-18	10
16	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, कठुआ	2008-09 से 2017-18	10
17	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, पुंछ	2008-09 से 2017-18	10
18	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, डोडा	2003-04 से 2017-18	15

19	कला संस्कृति और भाषा अकादमी	2003-04 से 2017-18	15
20	जम्मू विकास प्राधिकरण	1972-73 से 2017-18	46
21	जम्मू और कश्मीर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, श्रीनगर	1995-96 से 2017-18	23
22	जम्मू और कश्मीर खेल परिषद, श्रीनगर	2003-04 से 2017-18	15
23	जम्मू और कश्मीर उर्जा विकास एजेंसी (जेएकेईडीए), श्रीनगर	2003-04 से 2017-18	15
24	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, बडगाम	2007-08 से 2017-18	11
25	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, बारामूला	2007-08 से 2017-18	11
26	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, कुपवाड़ा	2006-07 से 2017-18	12
27	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, गांदरबल	2008-09 से 2017-18	10
28	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, कुलगाम	2008-09 से 2017-18	10
29	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, शोपियां	2008-09 से 2017-18	10
30	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, बांदीपोरा	2008-09 से 2017-18	10
31	जम्मू नगरपालिका	2002-03 से 2016-17	16
32	जम्मू और कश्मीर उद्यमिता विकास संस्थान, (जेकेईडीआई) पंपोर	1996-97 से 2002-03, 2016-17 तथा 2017-18	09
33	पर्यटन विकास प्राधिकरण, डूडपथरी	2005-06 से 2017-18	13
34	पर्यटन विकास प्राधिकरण, कोकेरनाग	2004-05 से 2017-18	14
35	पर्यटन विकास प्राधिकरण, मानसबल	2005-06 से 2017-18	13
36	पर्यटन विकास प्राधिकरण, पहलगाम	2002-03 से 2017-18	16
37	पर्यटन विकास प्राधिकरण, सोनमर्ग	2003-04 से 2017-18	15
38	पर्यटन विकास प्राधिकरण, यूसमर्ग	2005-06 से 2017-18	13
39	पर्यटन विकास प्राधिकरण, वेरीनाग	2006-07 से 2017-18	12
40	वुलर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी, श्रीनगर	2012-13 से 2017-18	06
41	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, रामबन	2007-08 से 2017-18	11

42	पर्यटन विकास प्राधिकरण, मंसार, सुरिनसर	2006-07 से 2017-18	12
43	पर्यटन विकास प्राधिकरण, राजौरी	2005-06 से 2017-18	13
44	पर्यटन विकास प्राधिकरण, पुंछ	2005-06 से 2017-18	13
45	पर्यटन विकास प्राधिकरण, लखनपुर	2005-06 से 2017-18	13
46	पर्यटन विकास प्राधिकरण, किश्तवाड़	2005-06 से 2017-18	13
47	जम्मू शहरी विकास एजेंसी (जेयूडीए)	1999-2000 से 2017-18	19
48	जम्मू और कश्मीर राज्य आवास बोर्ड	2002-03 से 2017-18	16
49	रॉयल स्प्रिंग गोल्फ कोर्स	2016-17 से 2017-18	2
50	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, उधमपुर	2000-01 से 2017-18	18
51	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, रियासी	2008-09 से 2017-18	10
52	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, राजौरी	2001-02 से 2017-18	17
53	पर्यटन विकास प्राधिकरण, गुलमर्ग	2000-01 से 2017-18	18
54	पर्यटन विकास प्राधिकरण, अहरबल	2006-07 से 2017-18	12
55	पर्यटन विकास प्राधिकरण, भद्रवाह	2006-07 से 2017-18	12
56	पर्यटन विकास प्राधिकरण, पटनीटॉप	2002-03 से 2017-18	16
कुल			**801**

परिशिष्ट-3.3

(संदर्भ: पैराग्राफ: 3.5)

विभागीय रूप से प्रबंधित वाणिज्यिक और अर्ध-वाणिज्यिक उपक्रमों में लेखों और सरकारी निवेश को अंतिम रूप देने की स्थिति को दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	वाणिज्यिक उपक्रम का नाम	लेखे को अंतिम रूप दिया गया	लंबित खातों की अवधि	अंतिम खातों के अनुसार निवेश को अंतिम रूप दिया गया			लेखे को अंतिम रूप देने में देरी के कारण
				शेयर कैपिटल	ऋण	कुल	
1.	जम्मू और कश्मीर बैंक लिमिटेड	2016-17	00	52.14	1,276.04	1,328.18	प्रस्तुत नहीं किए गए
2.	जम्मू और कश्मीर बैंक वित्तीय सेवाएं	2016-17	00	20.00	0.00	20.00	प्रस्तुत नहीं किए गए
3.	जम्मू और कश्मीर एससी/एसटी/ ओबीसी विकास कॉर्पोरेशन लि.	2001-02	15	10.63	10.76	21.39	प्रस्तुत नहीं किए गए
4.	जम्मू और कश्मीर महिला विकास निगम लिमिटेड	2015-16	01	10.00	78.61	88.61	प्रस्तुत नहीं किए गए
5.	जम्मू और कश्मीर कृषि उद्योग विकास कॉर्पोरेशन लि.	2003-04	13	1.95	11.48	13.43	प्रस्तुत नहीं किए गए
6.	जम्मू और कश्मीर बागवानी उत्पादन और विपणन निगम लिमिटेड	2000-01	16	9.20	43.21	52.41	प्रस्तुत नहीं किए गए
7.	जम्मू और कश्मीर लघु स्तर उद्योग विकास कॉर्पोरेशन लिमि.	2004-05	12	3.11	8.65	11.76	प्रस्तुत नहीं किए गए
8.	जम्मू कश्मीर राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड.	2011-12	05	17.64	22.72	40.36	प्रस्तुत नहीं किए गए
9.	जम्मू और कश्मीर परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड	2010-11	06	1.97	0.61	2.58	प्रस्तुत नहीं किए गए
10.	जम्मू और कश्मीर पुलिस हाउसिंग	2008-09	08	2.00	0.00	2.00	प्रस्तुत नहीं

क्र. सं.	वाणिज्यिक उपक्रम का नाम	लेखे को अंतिम रूप दिया गया	लंबित खातों की अवधि	अंतिम खातों के अनुसार निवेश को अंतिम रूप दिया गया			लेखे को अंतिम रूप देने में देरी के कारण
				शेयर कैपिटल	ऋण	कुल	
	कॉर्पोरेशन लि।						किए गए
11.	जम्मू और कश्मीर इंडस्ट्रीज विकास कॉर्पोरेशन लि।	2006-07	10	16.26	424.42	440.68	प्रस्तुत नहीं किए गए
12.	जम्मू और कश्मीर हस्तशिल्प (एस एंड ई) निगम लिमिटेड	1999-00	17	5.71	26.54	32.25	प्रस्तुत नहीं किए गए
13.	जम्मू और कश्मीर हथकरघा विकास कॉर्पोरेशन लिमि.	2002-03	14	3.09	43.08	46.17	प्रस्तुत नहीं किए गए
14.	जम्मू और कश्मीर सीमेंट्स लिमिटेड	2007-08	09	34.50	48.94	83.44	प्रस्तुत नहीं किए गए
15.	जम्मू और कश्मीर खनिज लिमिटेड	1996-97	20	8.00	68.17	76.17	प्रस्तुत नहीं किए गए
16.	जेएंडके, पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लि।	2011-12	05	5.00	1,493.55	1,498.55	प्रस्तुत नहीं किए गए
17.	जम्मू और कश्मीर चिनाब घाटी विधुत परियोजना लि.	2016-17	00	924.08	0.00	924.08	प्रस्तुत नहीं किए गए
18.	जम्मू-कश्मीर पर्यटन विकास निगम लिमिटेड.	2012-13	04	15.96	4.26	20.22	प्रस्तुत नहीं किए गए
19.	जम्मू कश्मीर स्टेट केबल कार कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2010-11	06	23.57	0.00	23.57	प्रस्तुत नहीं किए गए
20.	जम्मू कश्मीर, प्रवासी रोजगार निगम लिमिटेड.	2010-11	06	2.56	0.00	2.56	प्रस्तुत नहीं किए गए
21.	जम्मू-कश्मीर स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन लि.	2016-17	00	98.19	28.10	126.29	प्रस्तुत नहीं किए गए
22.	जम्मू कश्मीर राज्य सड़क परिवहन निगम	2013-14	03	178.37	514.94	693.31	प्रस्तुत नहीं किए गए

क्र. सं.	वाणिज्यिक उपक्रम का नाम	लेखे को अंतिम रूप दिया गया	लंबित खातों की अवधि	अंतिम खातों के अनुसार निवेश को अंतिम रूप दिया गया			लेखे को अंतिम रूप देने में देरी के कारण
				शेयर कैपिटल	ऋण	कुल	
23.	जम्मू कश्मीर राज्य वन निगम	1996-97	21	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	प्रस्तुत नहीं किए गए
24.	जम्मू-कश्मीर चिकित्सा आपूर्ति निगम लिमिटेड.	मार्च 2014 से शामिल	03	0.05	उपलब्ध नहीं	0.05	प्रस्तुत नहीं किए गए
कुल			**194**	**1,443.98**	**4,104.08**	**5,548.06**	

परिशिष्ट-4
शब्दावली

क्रम. सं.	अवधि	विवरण
1	राज्य कार्यान्वयन एजेंसी	राज्य कार्यान्वयन एजेंसी में गैर-सरकारी संगठन सहित कोई भी संगठन/संस्थान शामिल हो सकते हैं जो राज्य में उदाहरणत: एसएसए के लिए राज्य कार्यान्वयन समिति और एनआरएचएम के लिए राज्य स्वास्थ्य अभियान आदि में विशिष्ट कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार से निधि प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत हैं।
2	जीएसडीपी	जीएसडीपी को आय या श्रम का प्रयोग करते हुए उत्पादित माल और सेवा के बाजार मूल्य और मौजूदा कीमतों पर उत्पादन/राज्य की कुल आय के सभी अन्य कारकों के रूप में परिभाषित किया गया है।
3	वृद्धि अनुपात	वृद्धि अनुपात मूल परिवर्ती में दिये गये परिवर्तन के संबंध में राजकोषीय परिवर्ती की अनुक्रियता के लचीलापन या स्थिति को दर्शाता है। उदाहरणत: 0.6 पर राजस्व वृद्धि से तात्पर्य है कि यदि जीएसडीपी एक प्रतिशत बढ़ती है तो राज्स्व प्राप्तियां 0.6 प्रतिशतता बिंदूओं तक बढ़ सकती है।
4	आंतरिक ऋण	इसमें राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एनएसएस) को जारी किये गये बाजार ऋण और विशेष प्रतिभूतियां शामिल होती हैं।
5	कोर पब्लिक और मेरिट गुड्स	कोर पब्लिक गुड्स वे हैं जिन्हें सब नागरिक इस रूप में प्रयोग करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति सामान की इस प्रकर खपत करता है जिससे अन्य व्यक्तियों की खपत

		के लिए इस सामान की कमी न रहे, उदाहरणत: कानून और नियम लागू करना, हमारे अधिकारों की सुरक्षा और बचाव, प्रदूषण रहित हवा और अन्य पर्यावरणीय सुविधाएं और सड़क संरचना आदि। मेरिट गुड्स वे पण्य पदार्थ होते हैं जिन्हें सार्वजनिक क्षेत्र मुफ्त या सब्सिडी दरों पर प्रदान करते हैं क्योंकि समाज को उनकी जरूरत आवश्यकता आधार पर होनी चाहिए न कि सरकार की अदा करने की क्षमता और ईच्छा पर और इसलिए उनकी खपत बढ़ने की ईच्छा रखी जाती है। ऐसे पण्य पदार्थ के उदाहरणों में पोषण बढ़ाने के लिए गरीब हेतु मुफ्त या सब्सिडी वाले योजना का प्रावधान, जीवन की गुणवत्ता सुधारने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की आपूर्ति और मृत्यू को कम करना, सभी को आधारभूत शिक्षा पेय जल और स्वच्छता आदि उपलब्ध कराना शामिल होते हैं।
6	विकास व्यय	व्यय डेटा का विश्लेषण विकास और गैर-विकास व्यय में समुच्चित नहीं है। राजस्व लेखा, पूंजीगत परिव्यय और ऋण तथा अग्रिम से संबंधित व्यय सामाजिक सेवाओं, आर्थिक सेवाओं और सामान्य सेवाओं में श्रेणी बद्ध हैं। वृहद रूप से, सामाजिक और आर्थिक सेवाओं में विकास व्यय शामिल होता है जबकि सामान्य सेवाओं पर व्यय गैर-विकास व्यय के रूप में माना जाता है।
7	ऋण निरंतरता	ऋण निरंतरता को किसी समयावधि में मौजूदा ऋण-जीडीपी अनुपात बनाये रखने के लिए राज्य की योग्यता के रूप में परिभाषित किया जाता है और अपने ऋण के प्रयोग की योग्यता के प्रसंग को भी समाविष्ट करता है। इस प्रकार, ऋण की

		निरंतरता वर्तमान या प्रतिबद्ध दायित्व पूरा करने के लिए मौद्रिक परिसंपत्तियों की पर्याप्तता और ऐसे उधार से रिटर्न सहित अतिरिक्त उधार की लागतों के बीच संतुलन बनाये रखने की क्षमता को भी दर्शाती है। इसका अर्थ है कि राजकोषीय घाटे में वृद्धि ऋण सेवा की क्षमता में वृद्धि के समान होनी चाहिए।
8	गैर-ऋण प्राप्ति की पर्याप्तता (संसाधन अंतर)	राज्य की वृद्धिपूर्ण गैर-ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता में वृद्धिपूर्ण ब्याज देयताओं और वृद्धिपूर्ण प्राथमिक व्यय को कवर किया जाता है। यदि वृद्धिशील गैर-ऋण प्राप्तियां वृद्धिशील ब्याज भार और वृद्धिशील व्यय पूरा किया जाये तो ऋण निरंतरता को सहज रूप से प्राप्त किया जा सकता था।
9	उधार ली गई निधि की निवल उपलब्धता	कुल ऋण प्राप्तियों के ऋण शोधन (मूल+ब्याज भुगतान) के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है और उस सीमा को दर्शाता है जो उधार ली गई निधि की निवल उपलब्धता दर्शाते हुए ऋण शोधन में ऋण प्राप्तियों को प्रयुक्त किया गया है।
10	गैर ऋण प्राप्तियां	राज्य की वृद्धिपूर्ण गैर-ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता में वृद्धिपूर्ण ब्याज देयताओं और वृद्धिपूर्ण प्राथमिक व्यय को कवर किया जाता है। यदि वृद्धिशील गैर-ऋण प्राप्तियां वृद्धिशील ब्याज भार और वृद्धिशील व्यय पूरा किया जाये तो ऋण निरंतरता को सहज रूप से प्राप्त किया जा सकता था।
11	निवल ऋण उपलब्ध	सार्वजनिक ऋण पुन: भुगतान और सार्वजनिक ऋण पर ब्याज भुगतान में सार्वजनिक ऋण प्राप्तियों की अधिकता।